



कार्यालय / OFFICE
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र
Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone
हिल बाईपास रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार-249401
Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401

Phone: 01334-265368

E-Mail- cgrfharidwar@gmail.com

परिवाद सं० 189 / 2023

परिवादी :- श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी पुत्र स्व० आलम सिंह नेगी, निवासी ग्रा० उमरेला मल्ला, कोटद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, कोटद्वार।

कोरम

आदेश दिनांक 25.01.2024

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

यह परिवाद श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी पुत्र स्व० आलम सिंह नेगी, निवासी ग्रा० उमरेला मल्ला, कोटद्वार की ओर से उनके पुत्र श्री पंकज सिंह के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

परिवादी के तथ्य- संक्षेप में परिवाद के तथ्य इस प्रकार हैं- मेरे द्वारा यह शिकायत अपने पिताजी श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी पुत्र स्व० आलम सिंह नेगी, निवासी ग्रा० उमरेला मल्ला, कोटद्वार की ओर से प्रस्तुत की जाती है जिनसे विभाग द्वारा बिना विद्युत कनेक्शन निर्गत/संयोजित किये कनेक्शन सं०-KT2212220282280 की बाबत अपने रिकवरी अमीन विजय पाल द्वारा वसूल किये गये हैं। परिवादी ने कथन किया है कि हमारे निवास पर मात्र एक विद्युत कनेक्शन सं०-KT2122240135 स्थापित है जो कि मेरी माता श्रीमती शशि देवी के नाम पर चला आता है। उक्त के अलावा कभी भी हमने किसी विद्युत कनेक्शन का उपभोग नहीं किया है। परिवादी ने कथन किया है कि उसके पिता एक बुजुर्ग हैं तथा गांव में अकेले रहते हैं। विद्युत विभाग के अमीन ने उन्हें कोई प्रर्याप्त समय न देकर गिरफ्तार करने की धमकी दी तथा अगले दिन रकम अदा करने का समय दिया गया, जिस कारण परिवादी के पिता परिवादी से सम्पर्क भी न कर सके तथा अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा सम्मान को बचाने के लिए घबरा कर अमीन को रकम अदा कर दी।

परिवादी ने कथन किया है कि मुझे याद है कि वर्ष 1990-91 में हमारे घर में विद्युत नहीं थी तब विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन किया गया था तथा तत्कालीन नियमों के अन्तर्गत हमें प्राकवलन दिया गया था जिसे विभाग में जमा किया था। उस समय के जे०ई० ने कनेक्शन संस्थापित करने हेतु हमसे रिश्वत की मांग की थी न देने पर उन्होंने कनेक्शन संस्थापित नहीं किया था। परन्तु आश्चर्यजनक रूप से हमें विद्युत बिल प्राप्त हुआ, जबकि हमारे यहां विद्युत कनेक्शन संस्थापित नहीं किया गया था। विद्युत बिल को विवादित करते हुए विद्युत विभाग के कई चक्कर लगाये तथा मिटिंग की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई तब हमने मंत्री श्री भरत सिंह रावत से सम्पर्क किया। उन्होंने मामला सुलझाने व उन्हें सूचित करने के निर्देश विपक्षी विभाग को दिये थे और अन्य में मंत्री श्री भरत सिंह रावत जी ने मामले का हस्तक्षेप कर निपटान करते हुए परिवादी के मकान पर कनेक्शन सं०-KT22122240135 परिवादी की माता श्रीमती

क्रमशः.....02

शशि देवी के नाम पर वर्ष 1999 में संस्थापित करा दिया, तब से हम उक्त कनेक्शन का उपभोग कर रहे हैं और देय बिल का भुगतान करते चले आते हैं।

परिवादी ने कनेक्शन सं०-KT22122240135 के अतिरिक्त कभी भी कोई अन्य विद्युत कनेक्शन नहीं लिया है और न ही कोई कनेक्शन, विद्युत मीटर इत्यादि संस्थापित किया गया है जिससे विद्युत सप्लाई देकर कनेक्शन सं०-KT2212220282280 की बाबत बिल बनाये जाने का विपक्षी विभाग के पास कारण प्राप्त होता हो। विपक्षी के पास कोई जवाब नहीं है कि कनेक्शन सं०-KT2212220282280 कब संस्थापित किया गया और मीटर कब उतारा गया इत्यादि। मेरे द्वारा मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत की गई थी परन्तु न्याय प्राप्त नहीं हुआ। न्याय की आस में मंच की समक्ष शिकायत प्रस्तुत की है विस्तारपूर्वक निर्णय देकर समानता के आधार पर उचित न्याय किया जाये।

विपक्षी की ओर से कागज सं० 15 मय संलग्न कागज सं० 16 ता 21 के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया है जिसमें विपक्षी ने कथन किया है कि पंकज सिंह के द्वारा अपने पत्र में दो संयोजन के बारे में लिखा गया है जिसमें एक संयोजन सं०-KT2212220282280 है जो कि श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी पुत्र श्री आलम सिंह नेगी, गा० खगवाली दुगड्डा के नाम पर अभिलेखों में दर्ज है जो कि 1992 में गा० खगवाली में ऊर्जीकृत किया गया था एवं द्वितीय संयोजन सं०-KT22122240135 जो कि श्रीमती शशी देवी पत्नी श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी, गा० उमरैला, दुगड्डा के नाम पर अभिलेखों में दर्ज है, जोकि वर्ष 1998 में गा० उमरैला में ऊर्जीकृत किया गया है।

विपक्षी ने कथन किया है कि संयोजन सं०-KT22122240135 वर्तमान में सुचारु रूप से चल रहा है, जो कि श्रीमती शशी देवी के नाम पर दर्ज है। विपक्षी ने यह भी कथन किया है कि संयोजन सं०-KT2212220282280 श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी पुत्र स्व० श्री आलम सिंह नेगी, गा० खगवाली दुगड्डा के नाम का है, पर वर्ष 2011 तक धनराशि रू० 4633.00 बकाया चल रहा था जिसकी वसूली हेतु उपभोक्ता को सेक्शन-3 का नोटिस भेजा गया था, किन्तु उपभोक्ता द्वारा कोई धनराशि जमा नहीं की गई। जिसके पश्चात जिला अधिकारी महोदय को सेक्शन-5 का नोटिस प्रेषित किया गया था। सेक्शन-5 नोटिस उपरान्त उपभोक्ता के द्वारा संयोजन सं०-KT2212220282280 की बकाया राशि जमा कर दी गई है।

परिवादी की ओर से प्रति आपत्ति में कागज सं० 23,24 व शपथ पत्र कागज सं० 49,50,51 मय संलग्न कागज सं० 52,53 प्रस्तुत किया गया तथा विपक्षी की ओर से कागज सं० 31 मय संलग्न कागज सं० 32 ता 48 प्रस्तुत किये गये।

विवेचना

पत्रावली के तथ्य एवं उपलब्ध साक्ष्य प्रपत्रों का अवलोकन किया गया। परिवादी की शिकायत है कि परिवादी के पिता श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र स्व० श्री आलम सिंह नेगी, निवासी गा० उमरैला मल्ला के नाम पर रिकवरी प्रेषित कर 1.00 किलोवाट विद्युत कनेक्शन सं०-KT2/2122/028280 की बाबत रू० 5000.00 की वसूली की है जबकि उक्त कनेक्शन कभी भी संस्थापित नहीं किया गया है। उक्त की बाबत विपक्षी ने अपने जवाब में कथन किया है कि उक्त कनेक्शन सं०-KT2/2122/028280 रिकार्ड में श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी पुत्र श्री आलम सिंह नेगी के नाम पर वर्ष 1992 में गा० खगवाली में ऊर्जीकृत किया गया था तथा जिस पर विभाग रू० 4633.00 बकाया चल रहा था जिसके बाबत उपभोक्ता को वसूली हेतु सेक्शन-3 का नोटिस प्रेषित किया गया था। उपभोक्ता द्वारा रकम जमा न करने पर सेक्शन-5 के द्वारा की गई कार्यवाही पर उपभोक्ता द्वारा संयोजन सं०-KT2/2122/028280 की बाबत बकाया धनराशि अदा दी है।

विचारणीय बिन्दु है कि क्या विपक्षी विभाग द्वारा उपभोक्ता श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी पुत्र स्व० श्री आलम सिंह नेगी के नाम पर विद्युत कनेक्शन सं०-KT2/2122/028280 संयोजित किया गया था ?

उक्त वाद बिन्दु को साबित करने का भार विपक्षी पर है क्योंकि परिवादी ने कथन किया है कि वर्ष

Handwritten signature

1990-91 में कनेक्शन हेतु आवेदन किया गया था एस्टिमेट भी विभाग में जमा किया था तथा विपक्षी विभाग ने विद्युत कनेक्शन संस्थापित ही नहीं किया।

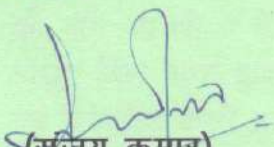
विपक्षी की ओर से अपने साक्ष्य में कागज सं 17 (Consumer Personal details) प्रस्तुत किया गया, जिसमें Supply release date 05.02.1992 दर्शायी गयी है।

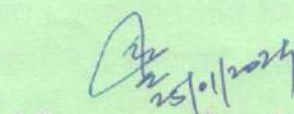
विद्युत सप्लाई का नियम है कि विद्युत की बिना मीटर के किसी संस्थापन को सेवा प्रदान नहीं की जायेगी, मीटर संस्थापन के नियम निर्धारित चले आते हैं जिसमें उपभोक्ता के परिसर पर मीटर संस्थापित करते समय मीटर सीलिंग प्रमाण पत्र मौके पर तैयार कर उपभोक्ता के हस्ताक्षर कराये जाते हैं तथा मीटर सीलिंग की एक प्रति उपभोक्ता को प्राप्त कराई जाती है परन्तु विपक्षी द्वारा मीटर सीलिंग की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई, न ही तत्कालीन अवधि में लागू (यदि) बिना मीटर विद्युत संयोजन निर्गत किए जाने संबंधी नियमों का उल्लेख ही किया गया है। विपक्षी ने Consumer History 05.02.1992 to 01.01.2024 (कागज सं० 36) प्रस्तुत की है, उसमें विद्युत खपत का विवरण शून्य है। विपक्षी ने कागज सं० 33 के द्वारा स्थाई विच्छेदन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जो कि कल्पना पर आधारित प्रमाण पत्र है जिस पर क्रम सं० व दिनांक भी अंकित नहीं है और न ही हस्ताक्षरकर्ता का विवरण अंकित किया गया है। उक्त प्रमाण पत्र में मीटर विवरण नहीं है। अस्थाई विच्छेदन व स्थाई विच्छेदन का एक ही दिनांक 30.06.1998 अंकित है साथ ही प्रमाणित किया है कि विद्युत विच्छेदन उपरान्त विद्युत का उपभोग नहीं किया गया। इस संबंध में प्रस्तुत प्रमाण पत्र में अंकित गवाहों से संबंधित आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किए गए हैं जो कि इस संबंध में निर्धारित प्रक्रिया के अनुकूल नहीं हैं। स्पष्ट है कि विपक्षी विभाग के पास कोई रिकार्ड उक्त कनेक्शन की बाबत नहीं है। विपक्षी कोई भी ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत न कर सका जिस पर उपभोक्ता के हस्ताक्षर हों अथवा विद्युत उपभोग का कोई विवरण हो अथवा कनेक्शन संयोजित किया जाना व मीटर संस्थापित किया जाना प्रमाणित होता हो।

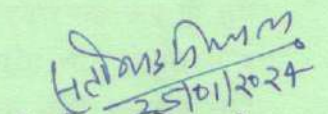
उपरोक्त स्थिति में यह तथ्य भी प्रमाणित नहीं होता है कि उपभोक्ता श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी द्वारा कनेक्शन हेतु प्रेषित आवेदन पर कोई भी विद्युत संयोजन निर्गत किया गया था। विपक्षी के अनुसार कनेक्शन 30.06.1998 को स्थाई रूप से विच्छेदन किया जाना भी विपक्षी को सेक्शन-3 का नोटिस वर्ष 2021 में प्रेषित करने का अधिकार नहीं देता है तो सेक्शन-5 में उपभोक्ता से बलपूर्वक वसूली किया जाना भी विधि सम्मत कृत्य होना स्वीकार नहीं किया जा सकता है। विपक्षी विभाग का उक्त कृत्य विधि विरुद्ध है जिस कारण विभाग की छवि को उपभोक्ता समाज में ठेस पहुंचती है। उक्त तथ्यों के दृष्टिगत परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाना न्यायहित में उचित व आवश्यक है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह कनेक्शन सं०-KT2/2122/028280 की बाबत उपभोक्ता से सेक्शन-5 में प्रेषित धन वसूली कार्यवाही के अन्तर्गत वसूल की गई धनराशि रु० 4633.00 उपभोक्ता को वापस अदा करे। आदेश का अनुपालन 30 दिन के भीतर सुनिश्चित हो। आदेश अनुपालन की सूचना इस मंच को अविलम्ब प्रेषित हो। पत्रावली अभिलेखागार में संचित हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


(जी० एस० धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य


(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।



कार्यालय / OFFICE

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र

Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone

हिल बाईपास रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार-249401

Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401

Phone: 01334-265368

E-Mail- cgrfharidwar@gmail.com

परिवाद सं० 117/2023

परिवादी :- मै० वर्धमान स्टोन क्रेशर, लक्सर रोड, भोगपुर, जिला हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, लक्सर, हरिद्वार।

कोरम

आदेश दिनांक 08.01.2024

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी मै० वर्धमान स्टोन क्रेशर, लक्सर रोड, भोगपुर, जिला हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या LK0K000001218 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि विद्युत विभाग द्वारा प्रेषित समस्त विद्युत बिलों का भुगतान उनके द्वारा निरन्तर किया जाता रहा है। विपक्षी विभाग द्वारा माह जनवरी में ₹0 175054.00 एवं माह मार्च 2023 में ₹0 187370.00 का विद्युत बिल जारी किया गया, जिसका भुगतान उनके द्वारा किया जा चुका है। मार्च माह में एक और बिल ₹0 111148.00 का विपक्षी विभाग द्वारा प्रेषित किया गया था, जिसका भुगतान भी उनके द्वारा किया जा चुका है। माह अप्रैल 2023 में ₹0 201961.00, माह मई में ₹0 258222.00 का बिल प्रेषित किया गया, जिसका भी भुगतान उनकी फर्म द्वारा कर दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को मीटर रीडिंग के आधार पर बिल प्रेषित किये जाते रहे हैं, तथा विपक्षी विभाग के मीटर रीडर द्वारा ही मीटर से रीडिंग चैक कर, बिल प्रेषित किया जाता रहा है जिसका भुगतान उनकी फर्म द्वारा निरन्तर किया गया है। माह जून 2023 में विपक्षी विभाग द्वारा बिल ₹0 744708.00 का बिल प्रेषित किया गया जिसमें अंतिम माह का एरियर के देय के रूप में ₹0 528021.00 दर्शित किये गये जिसके बाबत उनके द्वारा विपक्षी विभाग से जानकारी चाही तो उनके द्वारा कोई संतोषजनक जानकारी नहीं दी गयी। उनके द्वारा निरन्तर विपक्षी से सम्पर्क स्थापित कर उक्त बिल को दुरुस्त करने का आग्रह किया जाता रहा, परन्तु विपक्षी द्वारा उक्त बिल को दुरुस्त न कर दिनांक 25.07.2023 में उनके परिसर पर लगे मीटर को नो-डिस्प्ले दिखाकर बिना किसी सूचना के उतार लिया गया। इलेक्ट्रीसिटी सप्लाय कोड 2020 के अध्याय 5 के 5.1.1 के अनुसार मीटर बदलने से पूर्व फर्म को सात दिन का नोटिस दिया जाना नितान्त आवश्यक है परन्तु ऐसा कोई नोटिस विपक्षी विभाग द्वारा प्रेषित नहीं किया गया और न ही जो एरियर धनराशि माह जून 2023 के बिल में दर्शित की गई है उसमें यह भी अंकित नहीं है कि उक्त धनराशि किस माह की है। विपक्षी विभाग द्वारा इलेक्ट्रीसिटी सप्लाय कोड 2020 के अध्याय 5 मीटरिंग एवं रीडिंग में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया है तथा माह जुलाई 2023 का जो बिल प्रेषित किया गया है वह भी मनमाने रूप से अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर प्रेषित किया गया है। फर्म द्वारा बार-बार आग्रह करने पर विपक्षी विभाग द्वारा ना तो इलेक्ट्रीसिटी सप्लाय कोड

[Signature]

[Signature]

क्रमशः.....02

में दिये गये दिशा-निर्देशों का पालन किया जा रहा है और न ही एरियर धनराशि के सम्बन्ध में फर्म को अवगत कराया जा रहा है। फर्म द्वारा विपक्षी विभाग से हर संभव आग्रह किया कि वह माह जून के बिल को दुरुस्त कर दे परन्तु विपक्षी विभाग कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं है। अतः परिवादी ने मंच से विपक्षी विभाग द्वारा भेजे गये बिल सं० 29992230608000082 माह जून में प्रेषित रू० 744708.00 के बिल जिसमें अंतिम माह एरियर के रूप में रू० 528021.00 दर्शित किये हुए हैं को निरस्त करवाने का अनुरोध किया है।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या 2818 दिनांक 04.09.2023 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता मैसर्स वर्धमान स्टोन क्रेशर के परिसर पर उनके विद्युत संयोजन संख्या- LK0K000001218, विद्युत मीटर सं०-8056005 में Current Missing होने के कारण उपभोक्ता के परिसर पर दिनांक 24.12.2022 को, विभाग द्वारा चैक मीटर स्थापित किया गया। तदोपरान्त उपभोक्ता का पुराना मीटर 32.55% धीमा पाया गया। चैक मीटर रिपोर्ट के अनुसार विद्युत निर्धारण रू० 528021.00 का बनाया गया है।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या 3384 दिनांक 07.11.2023 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के परिसर पर स्थापित मुख्य मीटर के सापेक्ष चैक मीटर सं०-8056085 की एन०ए०बी०एल० परीक्षणशाला की प्रमाणित रिपोर्ट संलग्न है। चैक मीटर की सम्पूर्ण प्रक्रिया उपभोक्ता के परिसर पर ही की जाती है। उक्त विद्युत संयोजन में सी०टी० में तकनीकी खराबी के आने के कारण मीटर Y-Phase में की Current विलुप्त हुई है। चैक मीटर स्थापित करने की प्रक्रिया में मीटर प्रयोगशाला में नहीं खोला गया। यदि आवश्यक हो तो वीडियोग्राफी की जाती है। चैक मीटर बाह्य सी०टी०/पी०टी० यूनिट के द्वारा ही मुख्य मीटर के सापेक्ष स्थापित किया जाता है। चैक मीटर स्थापित करने एवं फाईनल करने की सीलिंग रिपोर्ट मौके पर ही उपभोक्ता को उपलब्ध करा दी जाती है। मीटर सील संख्या, सीलिंग रिपोर्ट में अंकित की जाती है। चैक मीटर सं० 8056085 का परीक्षण दिनांक 01.11.2023 को एन०ए०बी०एल० प्रमाणित परीक्षणशाला में मैसर्स वाई०एम०पी०एल०, कलडवास, उदयपुर, राजस्थान के द्वारा किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या 3623 दिनांक 02.12.2023 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि उक्त के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता विद्युत परीक्षण खण्ड का कथन है कि शिकायतकर्ता द्वारा इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड के बिन्दु 5.1.3 के अन्तर्गत मांगे गये दस्तावेज पूर्व में प्रेषित कर दिये गये थे। जिनका विवरण निम्नलिखित है- इस कार्यालय द्वारा पत्र के माध्यम से परीक्षण प्रयोगशाला का नाम, स्थापना वर्ष एवं एन०ए०बी०एल० प्रमाण-पत्र पूर्व में ही उपलब्ध करा दिया गया है। मीटर संदेह के आधार पर सील नहीं किया गया था। बल्कि तकनीकी कारणों से चैक मीटर स्थापित किया गया था। मीटर की पैकिंग, सील रिपोर्ट के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि मीटर को सील करने की आवश्यकता नहीं थी। एक अतिरिक्त 11 के०वी० सी०टी०/पी०टी० यूनिट को उपभोक्ता के परिसर पर स्थापित कर चैक मीटर लगाया गया था। प्रयोगशाला में परीक्षण किये जाने की तिथि की अग्रिम सूचना के सम्बन्ध में पुनः संज्ञान में लाना है कि मीटर सील नहीं किया गया था, केवल Y-Phase की Current Missing होने के कारण चैक मीटर लगाकर प्रतिशत त्रुटि का मापन करते हुए तकनीकी रूप से खराब Y-Phase सी०टी० को बदलकर दिनांक 12.01.2023 में उपभोक्ता के पुराने मीटर के सापेक्ष ही मीटरिंग को ठीक किया गया है। सीलिंग रिपोर्ट के पेज नं०-31 व 39 पर उपभोक्ता के हस्ताक्षर न होने के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि साईट पर कार्य करते समय उपस्थित उपभोक्ता प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर करने से मना कर दिया गया था। इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड के बिन्दु 5.1.3 के सापेक्ष संज्ञान में लाना है कि चैक मीटर लगाते समय UPCL Electricity Test Lab Dehradun के NABL Accredited न होने के

क्रमशः.....03

कारण चैक मीटर परीक्षण नहीं कराया जा सका था, किन्तु उपभोक्ता के परिसर पर स्थापित किये गये चैक मीटर संख्या 8056085 को NABL Accredited Lab Yadav Measurement Pvt. Ltd. उदयपुर राजस्थान द्वारा परीक्षण कराया गया जिसकी प्रति माननीय मंच के समक्ष पूर्व में प्रस्तुत की जा चुकी है।

मंच के समक्ष परिवादी की ओर से उनके अधिवक्ता श्री अंकुर मालिया तथा विपक्षी की ओर से अधिशासी अभियन्ता श्री एस० के० गुप्ता उपस्थित हुए।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन दिनांक 08.06.2004 से गतिमान है तथा वर्तमान में 220 केवीए विद्युत भार पर ऊर्जीकृत है। परिवादी के प्रश्नगत विद्युत संयोजन के सापेक्ष विपक्षी विभाग द्वारा लगातार एमयू आधार पर विद्युत बिल जारी किए गए हैं जिनका परिवादी द्वारा समय पर भुगतान किया जाता रहा है। परिवादी के संयोजन पर स्थापित मीटर संख्या-8056005 की एमआरआई रिपोर्ट के अनुसार मीटरिंग Current की अनुलब्धता का संज्ञान लेते हुए विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी के संयोजन में स्थापित विद्युत मीटर पर दर्ज हो रही विद्युत की मात्रा का तुलनात्मक अध्ययन हेतु प्रश्नगत संयोजन पर दिनांक 24.12.2022 को चैक मीटर संख्या-8056085 स्थापित किया गया तथा दिनांक 12.01.2023 को फाइनल किया गया है। चैक मीटर की फाइनल रिपोर्ट के अनुसार परिवादी का मैन मीटर, केवीएच मानक पर 33.55 प्रतिशत धीमा पाया गया है। परिणामस्वरूप विपक्षी विभाग द्वारा ₹ 5,28,021.00 का परिवादी के विरुद्ध राजस्व निर्धारण किया गया है जिसे परिवादी को दिनांक 08.05.2023 को जारी विद्युत बिल में दर्शाया गया है जिसे परिवादी द्वारा विवादित ठहराया गया है। पत्रावली में उपलब्ध एमआरआई रिपोर्ट से यह विदित होता है कि परिवादी के प्रश्नगत मीटर में अलग-अलग दिनों/समय पर Y-Phase/ R-Phase पर Current अनुलब्ध रही है। एमआरआई रिपोर्ट में दर्शित, Current Bypass/Ph. CT Open की घटनाओं से स्पष्ट है कि परिवादी के संयोजन पर चैक मीटर फाइनल किए जाने की तिथि से एक वर्ष पूर्व की अवधि में Current Bypass/Ph. CT Open की घटनायें केवल फरवरी 2022, अक्टूबर 2022 तथा जनवरी 2023 में दर्ज की गई हैं, जबकि विपक्षी विभाग द्वारा पिछले एक वर्ष में दर्ज विद्युत खपत को वास्तविक विद्युत खपत से 33.55 प्रतिशत कम मानते हुए राजस्व का निर्धारण किया गया है जो कि उचित प्रतीत नहीं होता है। चैक मीटर की फाइनल रिपोर्ट के अनुसार चैक मीटर दिनांक 24.12.2022 से दिनांक 12.01.2023 तक स्थापित रखा गया है। अर्थात् मैन मीटर के स्लो/धीमा होने की गणना, दिनांक 24.12.2022 से दिनांक 12.01.2023 के मध्य, मैन मीटर तथा चैक मीटर पर दर्ज विद्युत खपत के आधार पर की गई है जो कि सही प्रतीत नहीं होता है क्योंकि मीटर की टेंपर रिपोर्ट के अनुसार उक्त अवधि में Current Bypass/Ph. CT Open की घटनायें मात्र जनवरी 2023 में दर्ज की गई हैं। अतः मैन मीटर धीमा होने की प्रतिशत की गणना निम्नानुसार किया जाना उचित होगा :-

Sl.No.	Description	Total Consumption(kVAh)		%age Slow/Fast
		Old Meter	Check Meter	%age (Slow/Fast)
1	Consumption(kVAh) Recorded From Dtd. 24/12/2022 to Dtd. 12/01/2023	8090	11995.2	32.56
2	Consumption(kVAh) During Dec-2022 (24th to 8th)	3626	3626	0.00
3	Consumption in Apr-2023(kVAh)	4464	8369.2	46.66

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्रश्नगत मैन मीटर द्वारा माह जनवरी 2023 में दिनांक 12.01.2023 से दिनांक 31.01.2023 तक, वास्तविक विद्युत खपत के सापेक्ष 46.66 प्रतिशत कम विद्युत खपत दर्ज की गई है। अतः मंच की राय में परिवादी के प्रश्नगत विद्युत संयोजन के विरुद्ध राजस्व का निर्धारण केवल माह फरवरी 2022, माह अक्टूबर 2022 तथा माह जनवरी 2023 में, मैन मीटर द्वारा दर्ज की गई विद्युत खपत, चैक मीटर की तुलना में 46.66 प्रतिशत कम होने के आधार पर किए जाने तथा NH/EP/OP/MP अवधि में की गई विद्युत खपत की गणना पूर्व में जारी विद्युत बिलों में दर्शायी गई NH/EP/OP/MP अवधि की विद्युत खपत के अनुपातिक आधार पर करते हुए संशोधित बिल जारी किए जाने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी के विद्युत संयोजन पर किये गए राजस्व निर्धारण धनराशि रु0 528021.00 को निरस्त करते हुए केवल माह फरवरी 2022, माह अक्टूबर 2022 तथा माह जनवरी 2023 में मैन मीटर द्वारा दर्ज की गई विद्युत खपत, चैक मीटर की तुलना में 46.66 प्रतिशत कम होने के आधार पर राजस्व निर्धारण करे तथा NH/EP/OP/MP अवधि में की गई विद्युत खपत की गणना पूर्व में जारी विद्युत बिलों में दर्शायी गई NH/EP/OP/MP अवधि की विद्युत खपत के अनुपातिक आधार पर करते हुए संशोधित बिल जारी करे। विपक्षी विभाग आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य

(जी0 एस0 धर्मसत्तु)
तकनीकी सदस्य

(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।



कार्यालय / OFFICE
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र
Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone
हिल बाईपास रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार-249401
Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401

Phone: 01334-265368

E-Mail- cgrfharidwar@gmail.com

परिवाद सं० 178 / 2023

परिवादी :- श्री संजय कुमार पुत्र स्व० श्री विजेन्द्र कुमार, 328, पंजाब नेशनल बैंक के सामने, वार्ड नं० 2, लण्डौरा, मंगलौर रोड, रुड़की।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रुड़की।

कोरम

आदेश दिनांक 11.01.2023²⁴

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

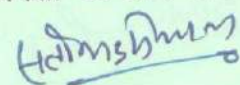
परिवादी श्री संजय कुमार पुत्र स्व० श्री विजेन्द्र कुमार, 328, पंजाब नेशनल बैंक के सामने, वार्ड नं० 2, लण्डौरा, मंगलौर रोड, रुड़की द्वारा विद्युत संयोजन सं०- RD61506150568 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उक्त विद्युत संयोजन वर्ष 2007 से चला आ रहा है। लण्डौरा सब स्टेशन के कर्मचारियों के द्वारा मेरा मीटर उखाड़कर कुंवर दिव्य प्रताप सिंह का नया संयोजन अवैध रूप से कर दिया गया। जिसकी शिकायत श्रीमती उनीता रानी पत्नी श्री अजय कुमार अग्रवाल के द्वारा 26.03.2021 को अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड (ग्रामीण) रुड़की को लिखित रूप से की गई थी, मगर सम्बन्धित अधिकारी के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई और आई.डी.एफ. का बिल बराबर भेजा जाता रहा है। दिनांक 29.07.2022 को प्रबन्धक निदेशक, यू.पी.सी.एल. देहरादून, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण रुड़की व एस.डी.ओ. विद्युत सब स्टेशन लण्डौरा को भी रजिस्टर्ड डाक द्वारा शिकायत की गई थी, मगर कोई कार्यवाही नहीं हुई। दिनांक 10.12.2022 को जन सूचना अधिकारी प्रबन्ध निदेशक, यू.पी.सी.एल. देहरादून को भी उनकी शिकायत पर की गई कार्यवाही की सूचना मांगी गई, परन्तु कोई भी कार्यवाही नहीं की गई और न ही कोई स्पष्ट सूचना मिल पाई। उक्त भवन का स्वामित्व मेरी भाभी श्रीमती अनीता रानी पत्नी श्री अजय कुमार अग्रवाल व मेरी पत्नी श्रीमती अनुराधा पत्नी श्री संजय कुमार का है, जिस पर संजय कुमार के नाम से एक संयोजन लिया गया था। अतः मंच से अनुरोध है कि मार्च 2021 तक का बिल जमा कर मीटर पुनः स्थापित कराया जाए एवं कुंवर दिव्य प्रताप सिंह के नाम से जो अवैध मीटर लगा है उसे भी उतरवाने एवं दोषी कर्मचारियों से दस लाख हर्जाने के रूप में दिलवा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा पत्रांक 4912 दिनांक 08.11.2023 के माध्यम से उक्त के जवाब में मंच को अवगत कराया गया है कि आर.ए.पी.डी.आर.पी. प्रणाली का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि उक्त विद्युत संयोजन उपभोक्ता श्री संजय कुमार के नाम पर अघरेलू उपयोग हेतु 03 कि.वा. भार पर दिनांक 01.01.2008 को निर्गत किया गया है। शिकायतकर्ता के उक्त संयोजन का निरीक्षण करने पर पाया गया कि उक्त परिसर पर वर्तमान में विद्युत संयोजन संख्या आरडी61506263439 स्थापित है जो कि श्री दिव्य प्रताप सिंह पुत्र श्री कुंवर प्रणव सिंह के नाम पर दर्ज है। उक्त दस्तावेजों का अध्ययन करने

क्रमशः.....02

से ज्ञात हुआ है कि सम्बन्धित परिसर पर मालिकाना हक श्री दिव्य प्रताप सिंह पुत्र श्री कुंवर प्रणव सिंह का है। शिकायतकर्ता श्री संजय कुमार के बताये गये परिसर पर विद्युत संयोजन संख्या आरडी61506150568 का कोई प्रमाण एवं उनका या उनके परिवार का कोई सदस्य नहीं मिला। जानकारी प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि यह परिसर श्री दिव्य प्रताप सिंह पुत्र श्री कुंवर प्रणव सिंह के नाम है एवं शिकायतकर्ता श्री संजय कुमार पुत्र स्व० श्री विजेन्द्र तथा श्री दिव्य प्रताप सिंह पुत्र श्री कुंवर प्रणव सिंह में आपसी विवाद चल रहा है। संयोजन संख्या आरडी61506150568 के दस्तावेज 15 वर्ष से अधिक के हैं। उपखण्ड कार्यालय लण्डौरा के द्वारा शिकायतकर्ता श्री संजय कुमार से पत्र व्यवहार किया गया है कि वह उक्त परिसर पर संयोजन संख्या आरडी61506150568 से सम्बन्धित अपने मालिकाना हक के दस्तावेज प्रस्तुत करें। विपक्षी विभाग द्वारा पत्रांक सं० 761 दिनांकित 25.11.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि जिस समय श्री दिव्य प्रताप सिंह पुत्र श्री कुंवर प्रणव सिंह को परिसर पर विद्युत संयोजन दिया गया था, उस समय श्री संजय कुमार पुत्र श्री विजेन्द्र, 328, वार्ड लण्डौरा, तहसील रुड़की, हरिद्वार के नाम विद्युत संयोजन था तथा दिव्य प्रताप सिंह पुत्र श्री कुंवर प्रणव सिंह एवं श्री संजय कुमार स्व० श्री विजेन्द्र के आपसी विवाद के चलते ही विद्युत मीटर गायब किया गया है तथा स्थिति स्पष्ट न होने के कारण श्री संजय कुमार स्व० श्री विजेन्द्र वर्तमान निवासी-1360, गंगा एनक्लेव, रुड़की-247667 पर मालिकाना हक सहित समस्त पत्रावलियां प्रस्तुत करने हेतु पुनः पत्र प्रेषित किया गया है। श्री संजय कुमार स्व० श्री विजेन्द्र द्वारा पत्र में कहा गया है कि "तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी द्वारा सूचना दी गई थी कि श्री संजय कुमार स्व० श्री विजेन्द्र का संयोजन दिनांक 10.07.2022 का विद्युत बिल धनराशि रु० 22186/- जमा न किये जाने के कारण संयोजन अस्थायी रूप से पोल से विच्छेदित कर दिया गया था" तथा अवर अभियन्ता द्वारा नियमानुसार 6 माह उपरान्त पी०डी० की कार्यवाही की जानी चाहिए थी, लेकिन अवर अभियन्ता द्वारा पी०डी० की कार्यवाही नहीं की गई। यदि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी द्वारा संयोजन 10.07.2022 को रु० 22186/- जमा न किये जाने के कारण अस्थायी रूप से विच्छेदित बताया गया है तो उपभोक्ता तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया गया पत्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि संयोजन दिनांक 10.07.2022 को विच्छेदित मानते हुए बिल दिनांक 10.07.2022 से संशोधित किया जा सके। साथ पत्रांक सं० 790 दिनांकित 04.12.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि श्री संजय कुमार पुत्र स्व० श्री विजेन्द्र के द्वारा दिये गये पत्र में अवगत कराया गया है कि दिनांक 20.02.2021 को श्री कुंवर दिव्य प्रताप सिंह ने शहजाद अली से एक फर्जी गिफ्ट डीड कराई है जो पूरे भवन की न होकर केवल 176.95 वर्ग मीटर की ही कराई गई है, जिसमें नगर पंचायत द्वारा कर निर्धारण के लिए कोई भी भवन संख्या नहीं लिखी गई है क्योंकि शहजाद अली का वहां पर कोई भवन था ही नहीं। इससे स्पष्ट है कि प्रकरण राजस्व का है और तहसील से सम्बन्धित है और विभाग द्वारा मीटर नहीं उतारा गया है। वर्तमान में श्री संजय कुमार पुत्र स्व० श्री विजेन्द्र, संयोजन सं० आर०डी०६१५०६१५०५६८ पर रु० 86316/- बकाया है, लेकिन इनके द्वारा उक्त संयोजन का पूर्व से उपयोग नहीं किया जा रहा है, इसलिए उक्त संयोजन को पूर्व से जब से इनका उपयोग शून्य है तब से विच्छेदित मानते हुए स्थाई विच्छेदन कर दिया गया है तथा विच्छेदन के उपरान्त श्री संजय कुमार पुत्र स्व० श्री विजेन्द्र संयोजन सं० आर०डी०६१५०६१५०५६८ के विरुद्ध जमा होने योग्य धनराशि रु० 4301/- है क्योंकि जमा जमानत राशि 3128/- है तो उक्त जमा जमानत राशि को समायोजित करने के उपरांत शुद्ध जमा करने योग्य धनराशि रु० 1173/- है। श्री संजय कुमार पुत्र स्व० श्री विजेन्द्र द्वारा यह धनराशि जमा करने के उपरान्त उक्त संयोजन विभागीय खाते से समाप्त कर दिया जायेगा।

मंच के समक्ष परिवादी के प्रतिनिधि श्री अजय कुमार अग्रवाल तथा विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी उपस्थित हुए।

क्रमशः.....03

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी श्री संजय कुमार के नाम से एक विद्युत संयोजन सं० RD61506150568, 2.00 किलोवाट भार पर दिनांक 01.01.2008 को निर्गत किया गया था। अभिलेखों में उपलब्ध बिलिंग हिस्ट्री से विदित होता है कि विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 15.02.2021 तक एमयू आधार पर विद्युत बिल जारी किये गये हैं। तत्पश्चात 02.04.2021 से दिनांक 12.08.2022 तक NR/IDF आधार पर विद्युत बिल जारी किये गये हैं। परिवादी द्वारा अन्तिम बार दिनांक 15.12.2020 को जारी विद्युत बिल धनराशि रू० 8895.00 के सापेक्ष रू० 9000.00 का भुगतान रसीद सं० 33526211220001010048 के माध्यम से दिनांक 21.12.2020 को किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 15.02.2021 को अन्तिम बार मीटर रीडिंग के आधार पर विद्युत बिल जारी किया गया है। तत्पश्चात विपक्षी विभाग द्वारा मा० विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी विनियम, 2020 के अन्तर्गत किये गये प्राविधानों के बिन्दु 5.2.1(7) का उल्लंघन करते हुए लगातार 15 बिलिंग चक्रों के लिए NR/IDF आधार पर अंतिम विद्युत बिल जारी किये गये हैं। पत्रावली में उपलब्ध प्रपत्रों से यह विदित होता है कि विपक्षी विभाग द्वारा जिस परिसर पर संयोजन सं०- RD61506156568, श्री संजय कुमार के नाम निर्गत किया गया था उसी परिसर पर संयोजन संख्या- RD61506263439, श्री दिव्य प्रताप सिंह पुत्र श्री कुंवर प्रणव सिंह के नाम से निर्गत किया गया है, जबकि उक्त परिसर पर पूर्व में श्री संजय कुमार के नाम से निर्गत विद्युत संयोजन के सापेक्ष अस्थाई/स्थाई विच्छेदन सम्बन्धी कोई भी कार्यवाही विपक्षी विभाग द्वारा नये संयोजन को निर्गत किये जाने से पूर्व नहीं की गयी, जो कि नियमानुसार सही प्रतीत नहीं होता है। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों से यह भी विदित होता है कि प्रश्नगत परिसर पर संयोजन सं- RD61506263439 निर्गत किये जाने पर श्री संजय कुमार द्वारा संयोजन सं०- RD6506150568 का उपयोग नहीं किया जा सका है, जबकि विपक्षी विभाग के अभिलेखों में उनके संयोजन के सापेक्ष NR/IDF आधार पर अन्तिम विद्युत बिल जारी किये जाते रहे हैं जो कि व्यवहारिक तथा नियमों की दृष्टि से कदापि उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

विपक्षी विभाग द्वारा पत्रांक 790 दिनांक 04.12.2023 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि परिवादी के संयोजन संख्या- RD6506150568 को कार्यालय ज्ञाप सं० 5226/EDD(R) Roorkee Dt. 04.12.2023 के अनुसार स्थायी विच्छेदन करते हुए परिवादी के विरुद्ध अभिलेखों में दर्शाया जा रहा फर्जी विद्युत बकाया रू० 85143.00 को समाप्त करते हुए परिवादी को अंतिम देय धनराशि रू० 1173.00 से अवगत कराया गया है। क्योंकि परिवादी द्वारा संयोजन सं०- RD6506150568 का उपयोग 02.04.2021 से नहीं किया जा रहा है या उपयोग किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है, अतः उक्त संयोजन का स्थाई विच्छेदन किया जाना सही प्रतीत होता है।

अभिलेखों से यह भी स्पष्ट होता है कि वर्तमान में प्रश्नगत परिसर पर श्री दिव्य प्रताप सिंह पुत्र श्री कुंवर प्रणव सिंह काबिज है तथा व्यवहारिक एवं नियमों की दृष्टि में श्री दिव्य प्रताप सिंह पुत्र कुंवर प्रणव सिंह विद्युत संयोजन प्राप्त किये जाने हेतु पात्र है, अतः वर्तमान में प्रश्नगत परिसर पर श्री दिव्य प्रताप सिंह के नाम से निर्गत संयोजन को हटाया जाना उचित नहीं है।

पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों से यह भी स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत परिसर में वैध/अवैध कब्जे को लेकर विवाद है अतः यदि भविष्य में सक्षम संस्था द्वारा प्रश्नगत परिसर के मालिकाना हक अथवा वैध कब्जे के सापेक्ष कोई निर्णय/आदेश पारित किया जाता है तो विपक्षी विभाग द्वारा तदनुसार परिसर पर विद्युत संयोजन निर्गत/विच्छेदन किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।

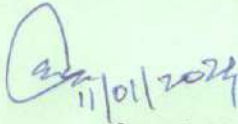
क्रमशः.....04

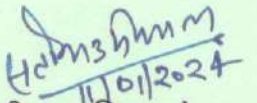
उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में परिवादी को कोई भी अनुतोष दिया जाना सम्भव नहीं है। अतः परिवादी का यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

/
(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


(जी० एस० धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य


(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।



कार्यालय / OFFICE
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र
Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone
हिल बाईपास रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार-249401
Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401

Phone: 01334-265368

E-Mail- cgrfharidwar@gmail.com

परिवाद सं० 183 / 2023

परिवादी :- श्रीमती नूर फातिमा पत्नी श्री अब्दुल सत्तार, मोहल्ला टोली गुलाब कॉलोनी, मंगलौर, रुड़की।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रुड़की।

कोरम

आदेश दिनांक 11.01.2024

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती नूर फातिमा पत्नी श्री अब्दुल सत्तार, मोहल्ला टोली गुलाब कॉलोनी, मंगलौर, रुड़की द्वारा अपने विद्युत संयोजन सं०—RD21723176275, भार 02.कि.वा. के संदर्भ में कथन किया गया है कि उनका विद्युत मीटर खराब हो गया था और उसके बदले जाने के बाद जब नये मीटर से बिल आया तो उसमें बहुत सारी रीडिंग दिखाई गयी। दिनांक 17.08.2021 में मीटर संख्या 84606759 का 1319 रीडिंग का बिल रु. 2434.00 का प्राप्त हुआ था, जिसे दिनांक 18.08.2021 को पूर्ण भुगतान कर दिया था। दिनांक 09.09.2021 को मीटर विभाग से कर्मचारियों ने आकर बताया कि एस.डी.ओ. मंगलौर द्वारा पत्रांक संख्या 205 दिनांक 08.09.2021 भेजकर परीक्षणशाला को बताया कि मीटर खराब है जिसे दिनांक 09.09.2021 को ही बदल कर मीटर संख्या 15256583 लगाया गया। उसके बाद अगले बिल पर अक्टूबर 2021 में विभाग द्वारा पुराने मीटर 84606759 में रीडिंग 3795—1319 = 2476 दिखाई गयी, लेकिन बिल आई.डी. एफ. की यूनिट भी 2476 जोड़ कर बिल कुल रीडिंग 4952 पर बनाया गया। 2476 रीडिंग खपत दिनांक 17.08.2021 से मीटर बदले जाने की तारीख 09.09.2021 यानी 23 दिन 2476/23, 107 यूनिट प्रति दिन आना न तो पिछली यूनिट खपत से मेल खा रहा है और ना ही नई रीडिंग खपत से, अतः यह मीटर खराब है। अगर मीटर बदले जाने सितम्बर 2021 से पहली खपत का अवलोकन करें तो अक्टूबर 2020 में 185 यूनिट, दिसम्बर 2020 में 115 यूनिट, फरवरी 2021 में एन.ए. में अप्रैल 2021 में शून्य, जून 2021 में 307 यूनिट 6 माह की, अगस्त 2021 में 373 यूनिट थी। पिछली खपत औसतन 100 यूनिट/प्रतिमाह तक ही होती रही है और यूनिट खपत भी 100 से 150 यूनिट प्रतिमाह ही है जबकि केवल दिनांक 17.08.2021 से मीटर बदले जाने की तारीख 09.09.2021 यानी 23 दिन की रीडिंग खपत 2476 यू.पी.सी.एल. द्वारा दिखाया जाना नियम विरुद्ध है क्योंकि प्रतिदिन की खपत 107 यूनिट नहीं आ सकती है। विभाग द्वारा अलग से आई.डी.एफ. की यूनिट भी जोड़ कर और बिल बढ़ा दिया गया है। अतः मंच से अनुरोध है कि बिना ब्याज लगवाये बिल सही करवाने एवं जब तक वाद विचाराधीन है कनेक्शन ना काटे जाने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता के पत्रांक 5035 दिनांक 21.11.2023 द्वारा उक्त वाद के जवाब में मंच को अवगत कराया गया है कि आरएपीडीआरपी प्रणाली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि विद्युत संयोजन संख्या—RD21723176275 श्रीमती नूर फातिमा पत्नी श्री अब्दुल सत्तार के नाम पर अघरेलू

क्रमशः.....02

उपयोग हेतु 02 कि.वा. दिनांक 27.09.2017 को निर्गत किया गया है। उपखण्ड अधिकारी मंगलौर द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के संयोजन पर दिनांक 09.09.2021 को प्रतिस्थापन उपरान्त उतारे गये मीटर संख्या 84606759 में 3795 रीडिंग पायी गयी। उक्त रीडिंग को मीटर की प्रतिस्थापना तिथि 21.06.2020 से 09.09.2021 तक विभाजित कर समय समय पर जारी यु.ई.आर.सी. की दरों के अनुसार उपभोक्ता द्वारा भुगतान की गयी धनराशि को समायोजित कर बीजक को संशोधित कर दिया गया है। विद्युत संयोजन संख्या का बीजक संशोधनोपरान्त बकाया धनराशि रु. 36201.00 उपभोक्ता द्वारा जमा किया जाना है।

मंच के समक्ष परिवादिनी के प्रतिनिधि श्री अब्दुल सत्तार तथा विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री अक्षय कपिल उपस्थित हुए।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादिनी का यह विद्युत संयोजन 02 किलोवाट भार में दिनांक 27.09.2017 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा प्रश्नगत विद्युत संयोजन की तिथि 27.09.2017 के पश्चात प्रथम विद्युत बिल दिनांक 28.12.2017 को एमयू आधार पर जारी किया गया है। तदपश्चात दिनांक 17.02.2018 तथा दिनांक 14.04.2018 को एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। परिवादिनी को संयोजन निर्गत करने के बाद मात्र तीन बिलिंग चक्रों के लिए एमयू आधार पर बिल जारी किए जाने के उपरांत दो बिलिंग चक्रों (दिनांक 14.08.2018 एवं दिनांक 29.10.2018) के लिए आरडीएफ आधार पर बिल जारी किए गए हैं। तदपश्चात दिनांक 25.12.2018 से दिनांक 15.12.2019 तक एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। उक्त आरडीएफ आधार पर जारी बिलों के सापेक्ष 150 यूनिट विद्युत खपत का समायोजन, दिनांक 25.12.2018 से दिनांक 15.12.2019 तक एमयू आधार पर जारी बिलों में नहीं दिया गया है। इस प्रकार परिवादिनी के बिल में 150 यूनिट के सापेक्ष विद्युत मूल्य तथा विद्युत कर के रूप में धनराशि दो बार चार्ज की गई है, जो कि सही प्रतीत नहीं होती है। तदपश्चात दिनांक 13.02.2020 से दिनांक 21.06.2020 तक आईडीएफ आधार पर बिल जारी किए गए हैं तथा दिनांक 23.08.2020 से दिनांक 17.12.2021 तक एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। पत्रावली पर उपलब्ध बिलिंग हिस्ट्री के अवलोकन से यह विदित होता है कि दिनांक 15.12.2019 के पश्चात दिनांक 17.08.2021 तक परिवादिनी को गलत मीटर रीडिंग के आधार पर बिल जारी किए गए हैं, जबकि परिवादिनी का मीटर सही प्रकार से कार्य कर रहा था। विपक्षी विभाग द्वारा यह कथन किया गया है कि परिवादिनी के संयोजन पर दिनांक 09.09.2021 को प्रतिस्थापन के उपरांत उतारे गए मीटर संख्या-84606759 में 3795 रीडिंग पाई गई तथा उक्त रीडिंग को मीटर की प्रतिस्थापना तिथि 21.06.2020 से दिनांक 09.09.2021 तक विभाजित कर समय-समय पर जारी टेरिफ आर्डर के अनुसार विद्युत बीजक संशोधित कर दिया गया है, परिवादिनी की बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार दिनांक 09.09.2021 को परिवादिनी के पुराने मीटर संख्या-84606759 पर 3795 रीडिंग पाई गई, सही प्रतीत होता है। परंतु विपक्षी विभाग का यह कथन कि उक्त मीटर संख्या-84606759 दिनांक 21.06.2020 को प्रतिस्थापित किया गया, सही प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि परिवादिनी की बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार प्रश्नगत संयोजन पर मात्र एक बार दिनांक 09.09.2021 को ही मीटर बदला गया है। यदि विपक्षी विभाग का यह कथन कि परिवादिनी का मीटर संख्या-84606759, दिनांक 21.06.2020 को स्थापित किया गया तो इस मीटर पर दिनांक 17.08.2021 को मीटर रीडिंग 1319 दर्ज थी तथा दिनांक 09.09.2021 को मीटर संख्या-15256583 द्वारा बदला गया और उतारे गए मीटर पर रीडिंग 3795 दर्ज पाई गई। इस प्रकार मीटर संख्या-84606759 द्वारा मात्र 22 दिनों में 2476 यूनिट की विद्युत खपत दर्ज की गई है जो कि किसी भी प्रकार से सही प्रतीत नहीं होती है। अतः विपक्षी विभाग का यह कथन कि मीटर संख्या-84606759 दिनांक 21.06.2020 को प्रतिस्थापित किया

क्रमशः.....03

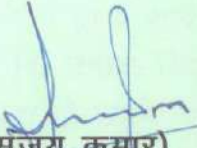
गया, कदापि स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि परिवादिनी के संयोजन पर प्रश्नगत मीटर संख्या-84606759 संयोजन की तिथि 17.09.2017 से दिनांक 09.09.2021 तक स्थापित रहा तथा इस पर अंतिम रीडिंग दिनांक 09.09.2021 को 3795 दर्ज पाई गई है।

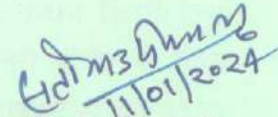
अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में परिवादिनी को दिनांक 14.08.2018 से दिनांक 16.10.2021 तक जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए, दिनांक 14.08.2018 को आईआर-242 तथा दिनांक 09.09.2021 को एफआर-3795 मानते हुए परिवादिनी को विलंब अधिभार शुल्क रहित संशोधित बिल जारी किए जाने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादिनी को दिनांक 14.08.2018 से दिनांक 16.10.2021 तक जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए दिनांक 14.08.2018 को आईआर-242 तथा दिनांक 09.09.2021 को एफआर-3795 मानते हुए परिवादिनी को विलंब अधिभार शुल्क रहित संशोधित बिल जारी करे। विपक्षी विभाग आदेश कि अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करें। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


11/01/2024
(जी० एस० धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य


11/01/2024
(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।



कार्यालय / OFFICE
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र
Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone
हिल बाईपास रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार-249401
Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401

Phone: 01334-265368

E-Mail- cgrfharidwar@gmail.com

परिवाद सं० 186 / 2023

परिवादी :- श्री विजेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र श्री सूरजमल वैस, 711/40 मथुरा विहार, वेस्ट अम्बर तालाब, मकतूलपुरी, रुड़की।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, रामनगर, रुड़की।

कोरम

आदेश दिनांक 11.01.2024

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

श्री विजेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र श्री सूरजमल वैस, 711/40 मथुरा विहार, वेस्ट अम्बर तालाब, मकतूलपुरी, रुड़की द्वारा विद्युत संयोजन संख्या RM70193105962 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि विद्युत विभाग द्वारा आरडीएफ आधार पर बिल जारी किए जाने के सम्बन्ध में दिनांक 18.09.2023 को ई-मेल द्वारा शिकायत दर्ज की थी। आरडीएफ से पूर्व नवंबर 2022 में ₹0 1334.00, दिसंबर 2022 में ₹0 2309.00, जनवरी 2023 में ₹0 2555.00, फरवरी 2023 में ₹0 2343.00, मार्च 2023 में ₹0 1640.00, अप्रैल 2023 में ₹0 2134.00 के बिल जारी किए गए हैं। इस प्रकार उक्त छह माह के बिलों का औसत ₹0 2052.00 प्रतिमाह आता है। इस आधार पर मई 2023 से अक्टूबर 2023 का बिल भी निर्गत किया जाना चाहिए था। परिवादी द्वारा यह भी कथन किया गया है कि उनका मीटर पिछले छह माह से तेज चल रहा है, जिसकी शिकायत उनके द्वारा विभाग में की गई, परंतु मीटर की जांच के लिए चैक मीटर नहीं लगाया गया। अतः मंच से अनुरोध है कि उपरोक्त आधार पर उनके आरडीएफ विद्युत बिलों को संशोधित करा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपने पत्र संख्या 924 दिनांकित 04.12.2023 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के संयोजन मै० टी०डी०एस०-मीटर रीडर द्वारा माह 08/2023 को आर०डी०एफ० बीजक प्रेषित किया गया था, जिसे अवर अभियन्ता द्वारा, मीटर रीडिंग 31020 KWH सत्यापित किए जाने पर दिनांक 22.06.2023 से 14.09.2023 तक की विद्युत खपत कुल 2838 यूनिट का बिल उपभोक्ता लेजर पर दिनांक 10.10.2023 को संशोधित कर दिया गया था। संशोधन के पश्चात देय धनराशि ₹0 25628.00 कर दी गयी। दिनांक 26.10.2023 को पुनः मै० टी०डी०एस० द्वारा RDF का बीजक निर्गत किया गया है एवं दिनांक 22.11.2023 को पुनः मीटर रीडर द्वारा बीजक निर्गत किया गया है जिसकी देय धनराशि ₹0 38880.99 प्रदर्शित है। उपरोक्त उपभोक्ता का बीजक दिनांक 28.11.2023 को दिनांक 14.09.2023 से 22.11.2023 तक पुनः संशोधित किया गया है। जिसकी देय धनराशि ₹0 36396.00 है। उपरोक्त संयोजन के बिलिंग लेजर के अनुसार दिनांक 28.11.2023 को ही Rebill निर्गत किया गया, जिसमें दिनांक 22.11.2023 में RDF बीजक की धनराशि ₹0 5720.99 का समायोजन किया

क्रमशः.....02

गया है जिसकी देय धनराशि 30675.01 है। विपक्षी विभाग द्वारा पत्रांक सं० 971 दिनांकित 22.12.2023 के द्वारा अवगत कराया गया कि मंच द्वारा दिनांक 19.12.2023 को दिये गये दिशा-निर्देशानुसार, उपभोक्ता श्री विजेन्द्र गुप्ता पुत्र श्री सूरजमल वैस को दिनांक 22.11.2023 से दिनांक 15.12.2023 तक का विद्युत बीजक जिसकी कुल देय धनराशि रु० 32799.00 है, जारी किया गया है।

मंच के समक्ष परिवादी श्री बिजेन्द्र गुप्ता को दूरभाष पर सुना गया तथा विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री ओमपाल सिंह उपस्थित हुए।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन दिनांक 05.03.2000 से गतिमान है जिसका वर्तमान में स्वीकृत भार 05 किलोवाट है। परिवादी के बिलिंग हिस्ट्री के अवलोकन से यह विदित होता है कि विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 19.07.2023 तक लगातार एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। दिनांक 14.08.2023 को आरडीएफ आधार पर 675 यूनिट का विद्युत बिल जारी किया गया है जिसका संज्ञान लेते हुए दिनांक 14.09.2023 को एमयू आधार पर 2838 (31020-28182) यूनिट का, दिनांक 22.06.2023 से दिनांक 14.09.2023 तक की विद्युत खपत का बिल जारी किया गया है। परंतु विभाग द्वारा पुनः दिनांक 26.10.2023 तथा दिनांक 22.11.2023 को आरडीएफ आधार पर क्रमशः 1090 एवं 785 यूनिट के विद्युत बिल जारी किए गए हैं। जबकि उक्त अवधि में परिवादी के मीटर पर विद्युत खपत दर्ज की जाती रही है। परिवादी द्वारा उक्त आरडीएफ आधार पर जारी बिलों के संबंध में विपक्षी विभाग द्वारा संतोषजनक कार्यवाही न किए जाने पर मंच के समक्ष यह शिकायत दर्ज की गई जिसे दिनांक 09.11.2023 को पंजीकृत किया गया है। मंच द्वारा पत्रांक 554 दिनांक 09.11.2023 के माध्यम से विपक्षी विभाग को अपना पक्ष प्रस्तुत किए जाने हेतु नोटिस जारी किया गया है। इसी क्रम में विपक्षी विभाग द्वारा पत्रांक 924 दिनांक 04.12.2023 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि परिवादी को आरडीएफ आधार पर जारी समस्त बिलों का संज्ञान लेते हुए परिवादी के मीटर पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत के अनुसार संशोधित बिल जारी कर दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा प्रस्तुत बिलिंग हिस्ट्री तथा उपभोक्ता लेजर से यह विदित होता है कि परिवादी को दिनांक 19.07.2023 तथा 14.08.2023 को जारी बिल को निरस्त करते हुए, दिनांक 22.06.2023 से दिनांक 14.09.2023 तक की अवधि में परिवादी के मीटर पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर 2838 (31020-28182) यूनिट का बिल दिनांक 14.09.2023 को जारी किया गया है साथ ही दिनांक 26.10.2023 को आरडीएफ आधार पर जारी बिल को निरस्त करते हुए दिनांक 14.09.2023 से दिनांक 22.11.2023 तक की अवधि में परिवादी के संयोजन पर स्थापित मीटर में दर्ज रीडिंग के आधार पर 718 (31738-31020) यूनिट का बिल जारी किया गया है जो कि सही प्रतीत होता है। क्योंकि परिवादी को दिनांक 14.08.2023 से दिनांक 22.11.2023 तक परिवादी के मीटर पर दर्ज रीडिंग के आधार पर बिल निर्गत नहीं किए गए, अतः परिवादी को जारी संशोधित बिलों में दिनांक 14.08.2023 के पश्चात चार्ज किया गया विलंब अधिभार शुल्क न्यायोचित नहीं है। अतः परिवादी को जारी बिल दिनांक 22.11.2023 में विलंब अधिभार मद में रु० 523.27 (655.54-132.27) का समायोजन दिए जाने की आवश्यकता है।

जहां तक परिवादी द्वारा अपने परिसर पर स्थापित विद्युत मीटर की शुद्धता को लेकर संदेह किया गया है तो वह इसका निवारण चैक मीटर हेतु विपक्षी के कार्यालय में नियमानुसार आवेदन करने के उपरांत करा सकता है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में परिवादी की शिकायत का समाधान विपक्षी विभाग

क्रमशः.....03

Handwritten signature

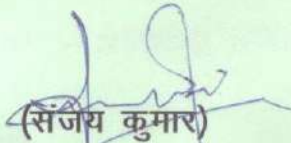
Handwritten signature

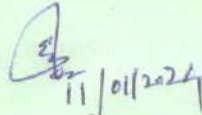
Handwritten signature

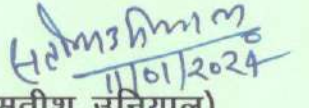
द्वारा कर दिया गया है जिसमें आंशिक संशोधन करते हुए विलंब अधिभार मद में रू० 523.27 (655.54-132.27) का समायोजन दिए जाने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद अंशतः स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी को जारी बिल दिनांक 22.11.2023 में विलंब अधिभार मद में रू० 523.27 (655.54-132.27) का समायोजन प्रदान करे। विपक्षी विभाग आदेश कि अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करें। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


(जी० एस० धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य


(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।

कार्यालय / OFFICE

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र

Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone

हिल बाईपास रोड़, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार-249401

Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401

E-Mail- cgrfharidwar@gmail.com

Phone: 01334-265368

परिवाद सं० 191 / 2023

परिवादी :- श्री अनिल कुमार पुत्र श्री दिनेश चन्द्र, निम्बूचौड़, कोटद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, कोटद्वार।

कोरम

आदेश दिनांक 11.01.2024

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री अनिल कुमार पुत्र श्री दिनेश चन्द्र, निम्बूचौड़, कोटद्वार द्वारा विद्युत संयोजन सं०-KT11261147407 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनके द्वारा विद्युत बिलों का यथा समय भुगतान किया जा रहा है। दिनांक 20.07.2023 को मीटर रीडिंग लेने आये कर्मचारी द्वारा अवगत कराया गया कि उनका मीटर रीडिंग नहीं दे रहा है जिसकी आपको विद्युत कार्यालय में सूचना देनी होगी। उक्त कर्मचारी द्वारा आरडीएफ के आधार पर रू० 4356.00 का बिल उनको दिया गया जिसके बाद उनके द्वारा दिनांक 20.07.2023 को विभागीय ऐप के माध्यम से शिकायत सं० 2200723 दर्ज कराई गई एवं दिनांक 22.07.2023 को ग्राहक सेवा अधिकारी के बताये अनुसार 04.09.2023 को लगभग डेढ़ माह बाद उनके आवास पर टेस्ट मीटर लगाया गया किन्तु दिनांक 19.09.2023 को उनको पुनः आरडीएफ के आधार पर रू० 4378.00 का बिल थमा दिया गया, जबकि उनके द्वारा इतनी विद्युत उपयोग किया ही नहीं गया। उनके द्वारा उक्त दोनो बिलों का भुगतान यथायसमय कर दिया गया है। प्रार्थी ने मंच से बिना रीडिंग के आर०डी०एफ० बिलों को सही करते हुए उनके द्वारा भुगतान किये गये बिलों का समायोजन दिलवाने का अनुरोध किया है।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता के पत्रांक 3053 दिनांक 07.12.2023 द्वारा उक्त के जवाब में मंच को अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता की शिकायत पर उनके परिसर में चैक मीटर स्थापित किया गया था, किन्तु चैक मीटर एवं परिसर पर स्थापित मैन मीटर में कोई अन्तर नहीं पाया गया है। तदपश्चात उपभोक्ता के परिसर में पुराने मीटर को बदलकर नया मीटर स्थापित कर दिया गया। नये मीटर की रीडिंग के अनुसार उपभोक्ता के विद्युत संयोजन सं० केटी11261147407 के जो विद्युत बिल आरडीएफ के अनुसार प्राप्त हुये हैं उन्हें सिस्टम के द्वारा दिनांक 29.11.2023 को संशोधित कर दिया गया है एवं उपभोक्ता पर वर्तमान में देय धनराशि रू० (-2894.00) है। उपभोक्ता को अग्रिम विद्युत बिल मीटर रीडिंग के अनुसार ही प्रेषित किये जायेंगे।

मंच के समक्ष परिवादी श्री अनिल कुमार तथा विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री रवि अरोड़ा उपस्थित हुए।

Handwritten signature

क्रमशः.....02

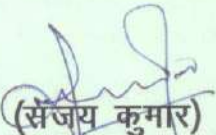
मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

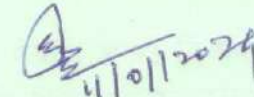
पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन 02 किलोवाट विद्युत भार पर दिनांक 07.02.2016 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 14.05.2023 तक परिवादी को एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। तदपश्चात् दिनांक 20.07.2023, दिनांक 19.09.2023 तथा दिनांक 21.11.2023 को आरडीएफ आधार पर विद्युत बिल जारी किए गए हैं जिसे परिवादी द्वारा विवादित ठहराया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से यह विदित होता है कि परिवादी द्वारा दिनांक 20.07.2023 को चैक मीटर स्थापित किए जाने हेतु एक शिकायत पंजीकृत की गई है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी के परिसर पर दिनांक 04.09.2023 को चैक मीटर स्थापित किया गया तथा दिनांक 25.09.2023 को चैक मीटर फाइनल किया गया। चैक मीटर के फाइनल रिपोर्ट के अनुसार परिवादी के परिसर पर स्थापित पुराने मीटर की रीडिंग दिनांक 25.09.2023 को 263 पाई, जबकि चैक मीटर स्थापित किए जाने की तिथि 04.09.2023 को उक्त मीटर पर रीडिंग 1176 दर्ज थी। अर्थात् चैक मीटर रहने की अवधि में परिवादी के मैन मीटर की रीडिंग कम हो गई है। स्पष्ट है कि परिवादी के संयोजन पर स्थापित उक्त मीटर दोषपूर्ण है, जिसे चैक मीटर संख्या-10349916 द्वारा बदल दिया गया है। परिवादी द्वारा अपने संयोजन पर स्थापित मीटर की जांच किए जाने हेतु, शिकायत दिनांक 20.07.2023 को दर्ज की गई है परंतु विपक्षी विभाग द्वारा मा० उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी विनियम, 2020 के अनुसार निर्धारित समय से 15 दिनों की देरी से मीटर की जांच की गई है। विपक्षी विभाग द्वारा भविष्य में मा० उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी विनियम, 2020 के अंतर्गत किए गए प्राविधानों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है। विपक्षी विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रपत्रों से यह विदित होता है कि परिवादी को आरडीएफ आधार पर जारी बिलों को निरस्त करते हुए संशोधित बिल जारी कर दिया गया है। परिणामस्वरूप दिनांक 21.11.2023 को जारी बिल की धनराशि रु० 4199.00 को संशोधित करते हुए रु० 2894.00 का बिल जारी किया गया है, जो कि सही प्रतीत होता है।

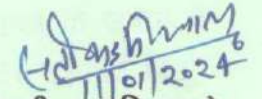
अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की समस्या का समाधान कर दिया गया है। अतः यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की समस्या का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


(जी० एस० धर्मसत्त)
तकनीकी सदस्य


(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।



कार्यालय / OFFICE

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र

Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone

हिल बाईपास रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार-249401

Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401

Phone: 01334-265368

E-Mail- cgrfharidwar@gmail.com

परिवाद सं० 194 / 2023

परिवादी :- श्री गुलाम हुसैन पुत्र श्री रोशन, ग्रा० गुर्जर बस्ती, पोस्ट गैण्डीखाता, जिला हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नगरीय, ^{हरिद्वार} ~~रूडकी~~।

कोरम

आदेश दिनांक 11.01.2024

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री गुलाम हुसैन पुत्र श्री रोशन, ग्रा० गुर्जर बस्ती, पोस्ट गैण्डीखाता, जिला हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन सं०- 6911337109947 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनके द्वारा दिनांक 14.12.2023 को बिजली का पूरा बिल जमा कर दिया गया था। उसके बाद उनके बिल गलत आने लगे, मीटर रीडर द्वारा उनको बताया गया कि मीटर खराब चल रहा है। विपक्षी विभाग द्वारा मीटर बदलवा दिया गया है, परन्तु उनको मीटर सीलिंग नहीं दी गयी है। मीटर बदलने के बाद भी मीटर रीडिंग का बिल नहीं आ रहा है। मीटर रीडर के द्वारा बिल भी नहीं निकाला जा रहा है। मीटर रीडर का कहना है कि मीटर में पुरानी रीडिंग आ रही है, जबकि उनके यहां नया मीटर लगाया गया है। उनका बिल आईडीएफ/एनआर में आ रहा है। अतः मंच से अनुरोध है कि उन्हें रीडिंग का बिल भेजते हुए उनका बिल सही करवा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता के पत्रांक 2687 दिनांक 08.12.2023 द्वारा उक्त के जवाब में मंच को अवगत कराया गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा अपने संयोजन सं०-6911337109947 में दिनांक 15.12.2021 को बीजक की पूर्ण धनराशि रू० 6400.00 जमा करा दी थी। उसके उपरान्त दिनांक 13.09.2022 तक शिकायतकर्ता को सही मीटर रीडिंग के बीजक दिये गये। तदुपरान्त शिकायतकर्ता का मीटर खराब हो गया, जो कि दिनांक 16.08.2023 को बदला गया तथा नया मीटर सं०-U8006958 शिकायतकर्ता के परिसर पर लगाया गया, परन्तु इसके उपरान्त शिकायतकर्ता को गलत बीजक प्राप्त हुए। उक्त संयोजन का दिनांक 17.11.2023 तक का बीजक संशोधित किया गया है, जिसकी संशोधित धनराशि रू० 10825.00 प्रस्तावित है।

मंच के समक्ष परिवादी श्री गुलाम हुसैन तथा विपक्षी की ओर से सहायक अभियन्ता (राजस्व), श्रीमती प्रियंका अग्रवाल उपस्थित हुई।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन 02 किलोवाट भार पर दिनांक 27.12.2012 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक

Holmshing

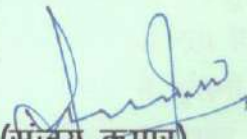
क्रमशः.....02

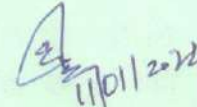
13.09.202 तक परिवादी कोएमयू के आधार पर बिल जारी किए गए हैं। तदपश्चात दिनांक 01.12.2022 से दिनांक 17.11.2023 तक लगातार एनआर/आईडीएफ आधार पर बिल जारी किए गए हैं जो कि मा० उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी, विनियम, 2020 का उल्लंघन है, जिस हेतु विपक्षी विभाग द्वारा दोषी कार्मिकों के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है। अभिलेखों में उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी के संयोजन पर स्थापित मीटर संख्या-20022376 को दिनांक 16.08.2023 को मीटर संख्या-यू 806958 द्वारा बदल दिया गया है, परंतु उक्त नये मीटर को परिवादी के संयोजन संबंधी अभिलेखों में दर्ज नहीं किया गया है, फलस्वरूप परिवादी को विपक्षी विभाग द्वारा एनआर/आईडीएफ के आधार पर बिल जारी किए जा रहे हैं।

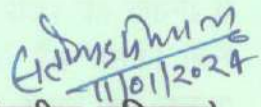
उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में परिवादी को दिनांक 01.12.2022 से दिनांक 17.11.2023 तक जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए दिनांक 01.12.2022 से दिनांक 16.08.2023 तक की अवधि के सापेक्ष, पूर्व में जारी तीन बिलिंग चक्रों की औसत विद्युत खपत के आधार पर तथा दिनांक 16.08.2023 से दिनांक 17.11.2023 की अवधि के सापेक्ष, नये मीटर में दर्ज विद्युत खपत के आधार पर संशोधित बिल जारी किए जाने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी को दिनांक 01.12.2022 से दिनांक 17.11.2023 तक जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए दिनांक 01.12.2022 से दिनांक 16.08.2023 तक की अवधि के सापेक्ष, पूर्व में जारी तीन बिलिंग चक्रों की औसत विद्युत खपत के आधार पर तथा दिनांक 16.08.2023 से दिनांक 17.11.2023 की अवधि के सापेक्ष, नये मीटर में दर्ज विद्युत खपत के आधार पर संशोधित बिल जारी करे। विपक्षी विभाग आदेश कि अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करें। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


(जी० एस० धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य


(सतीश चनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।



कार्यालय / OFFICE

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र

Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone

हिल बाईपास रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार-249401

Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401

Phone: 01334-265368

E-Mail- cgrfharidwar@gmail.com

परिवाद सं० 195 / 2023

परिवादी :- श्री सुभाष चन्द्र अरोड़ा पुत्र श्री गोविन्द राम केयर आफ श्री श्रवण कुमार, निवासी 113/ए, मकतुलपुरी, रुड़की, जिला हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, रामनगर, रुड़की।

कोरम

आदेश दिनांक 11.01.2024

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री सुभाष चन्द्र अरोड़ा पुत्र श्री गोविन्द राम केयर आफ श्री श्रवण कुमार, निवासी 113/ए, मकतुलपुरी, रुड़की, जिला हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन सं०—RM0K000012624, भार— 12 किलोवाट के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि यह कनेक्शन उनके भाई श्रवण कुमार के नाम से है जिनकी मृत्यु हो चुकी है। उक्त विद्युत संयोजन दिनांक 30.06.2022 को भारी वर्षा होने के कारण जल गया था तथा दिनांक 01.07.2022 में लगभग एक माह बाद मीटर लगाया गया था, बिल आने पर पता चला कि वह मीटर तेज चल रहा है। क्योंकि पहले 25 हजार से 30 हजार तक का प्रतिमाह बिल आता था। उन्होंने दिनांक 02.09.2022 को चैक मीटर लगवाया था, वह भी एवन कम्पनी का ही लगा जो कि दिनांक 14.02.2023 को उतारा गया तब बताया गया कि पहले वाला मीटर 11 प्रतिशत धीमा है, तब लगभग 10 हजार की पैनॉल्टी लगी थी, तब उन्होंने फिर से चैक मीटर लगवाया जो कि 19.05.2023 को जीनस कम्पनी का लगा था जो कि दिनांक 05.06.2023 को उतारा गया है तब पता चला कि एवन कम्पनी की मीटर 53.6 तेज चल रहा था, तब बिल ठीक करके लगभग 65 हजार रिफण्ड किये गये तथा दिनांक 01.07.2022 से दिनांक 14.02.2023 का रिफण्ड नहीं किया गया। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल दिनांक 01.07.2022 से सही करवा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता के पत्रांक 5075 दिनांक 15.12.2023 द्वारा उक्त के जवाब में मंच को अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के परिसर पर दिनांक 01.07.2022 को स्थापित मीटर सं० 18300179 आईडीएफ पर उतारते हुए नया मीटर सं० 9132771 स्थापित किया गया था, जिसके सापेक्ष उपभोक्ता के अनुरोध पर सीलिंग प्रमाण पत्र सं० 17/72 के माध्यम से दिनांक 02.09.2022 को चैक मीटर सं० 9140769 स्थापित किया गया, जिसे सीलिंग प्रमाण पत्र सं० 08/334 के माध्यम से दिनांक 14.02.2023 को पूर्ण रूप से फाइनल कर पुराना मीटर सं० 9132771 के 0डब्ल्यू0एच0 में 10.87 प्रतिशत स्लो बताया गया। जिस पर खण्ड कार्यालय द्वारा मीटर स्लो के विरुद्ध पत्रांक 3329 दिनांक 22.07.2023 के माध्यम से निर्धारण कर कुल धनराशि रू० 7002.00 उपभोक्ता के बिलिंग खातों में दिनांक 26.07.2023 को जोड़ दिये गये थे। उपभोक्ता के परिसर पर दिनांक 14.02.2023 को चैक मीटर सं० 9140769 फाइनल

क्रमशः.....02

किये जाने के उपरान्त उपभोक्ता के अनुरोध पर पुनः मीटर लैब द्वारा सीलिंग प्रमाण सं० 07/497 के माध्यम से दिनांक 19.05.2023 को चैक मीटर सं० 8897748 स्थापित किया गया, जिसे सीलिंग प्रमाण पत्र सं० 29/497 के माध्यम से दिनांक 05.06.2023 को फाइनल किया गया। जिसमें पुराना मीटर सं० 9140769 के 0डब्लू0एच० में 53.08 प्रतिशत तेज पाया गया था, जिसके आधार पर खण्ड कार्यालय द्वारा पत्रांक 3724 दिनांक 17.08.2023 के माध्यम से मीटर स्थापित होने की दिनांक 14.02.2023 से मीटर उतरने के दिनांक 05.06.2023 तक के उपभोग यूनिट के आधार पर निर्धारण कर कुल धनराशि रू० 65375.00, उपभोक्ता के बिलिंग खाते में दिनांक 22.08.2023 को घटा दिये गये हैं।

मंच के समक्ष परिवादी के प्रतिनिधि श्री अंकित अरोड़ा के तर्क सुने गए तथा विपक्षी अनुपस्थित आए।

मंच द्वारा उपस्थित पक्ष को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन 12 किलोवाट भार में दिनांक 21.08.1976 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 07.06.2022 तक लगातार परिवादी को एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। दिनांक 11.07.2022 को आईडीएफ आधार पर बिल जारी किया गया है। परिवादी के उक्त संयोजन पर स्थापित पुराने मीटर संख्या-18300179 के जल जाने के कारण दिनांक 01.07.2022 को मीटर संख्या-9132771 से बदला गया है। उक्त मीटर संख्या-9132771 को स्थापित किए जाने के 64 दिनों बाद ही, परिवादी की शिकायत पर विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 02.09.2022 को चैक मीटर संख्या-9140769 स्थापित किया गया है जबकि परिवादी द्वारा मीटर संख्या-9132771 के दोषपूर्ण होने की शिकायत, चैक मीटर हेतु प्रेषित इंडेंट की तिथि 18.08.2022 से पूर्व अर्थात् मीटर संख्या-9132771 के स्थापित किए जाने के पश्चात 49 दिनों के अंदर ही अपनी शिकायत दर्ज कर दी गई थी। चैक मीटर संख्या-9140769 को दिनांक 14.02.2023 को फाइनल किया गया और पाया गया कि पूर्व में स्थापित मीटर संख्या-9132771, चैक मीटर की तुलना में 10.87 प्रतिशत धीमा है। इस प्रकार परिवादी के विरुद्ध रू० 7002.00 का विद्युत मूल्य आदि का निर्धारण किया गया है, जिसे परिवादी के दिनांक 05.07.2023 को जारी बिल में जोड़ा गया है। उक्त चैक मीटर संख्या-9140769 को दिनांक 02.09.2022 को स्थापित किया गया तथा लगभग 5 माह बाद दिनांक 14.02.2023 को फाइनल किया गया है। इससे स्पष्ट है कि उक्त चैक मीटर को अत्यधिक विलंब से फाइनल किया गया तथा चैक मीटर संख्या-9140769 को परिवादी के संयोजन पर मैन मीटर के रूप में स्थापित रखा गया। चैक मीटर फाइनल की तिथि दिनांक 14.02.2023 से दो माह के पश्चात लगभग दो माह की अवधि के अंतर्गत पुनः परिवादी द्वारा मीटर संख्या-9140769 की शुद्धता पर शंका व्यक्त करते हुए शिकायत दर्ज की गई है। परिणामस्वरूप दिनांक 19.05.2023 को परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर चैक मीटर संख्या-8897748 स्थापित किया गया, जिसे दिनांक 05.06.2023 को फाइनल किया गया है। चैक मीटर फाइनल रिपोर्ट के अनुसार परिवादी का मीटर संख्या-9140769 चैक मीटर की तुलना में 53.06 प्रतिशत तेज पाया गया। चैक मीटर फाइनल रिपोर्ट के आधार पर परिवादी के बिलों में, दिनांक 14.02.2023 से दिनांक 05.06.2023 तक की अवधि में किए गए विद्युत खपत के सापेक्ष रू० 65375.00 का समायोजन, दिनांक 10.08.2023 को जारी बिल में प्रदान किया गया है, जो कि सही प्रतीत होता है। परिवादी द्वारा की गई शिकायत के संबंध में परिवादी के बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार माह जुलाई से फरवरी तक की अवधि में दर्ज विद्युत खपत का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। उक्त अवधि में परिवादी के संयोजन पर निम्नानुसार विद्युत खपत दर्ज की गई है:-

Handwritten signature

माह	विद्युत खपत का विवरण (यूनिट में)					
	वर्ष-2018	वर्ष-2019	वर्ष -2020	वर्ष-2021	वर्ष-2022	वर्ष-2023
जुलाई	6875	5315	4064	3695	4853	4863
अगस्त	2240	3859	3398	3889	6513	3103
सितंबर	3283	2862	2346	3822	5242	2870
अक्टूबर	2344	1968	2649	2286	3144	3104
नवंबर	1174	915	1297	1096	1312	1427
दिसंबर	532	749	261	628	530	328
जनवरी	592	362	342	333	280	438
फरवरी	470	392	374	316	257	277
मार्च	1921	1312	2021	416	1581	3317

उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि परिवादी के संयोजन पर माह अगस्त 2022 तथा सितंबर 2022 में अप्रत्याशित रूप से विद्युत खपत में वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि चैक मीटर संख्या-9140769 द्वारा दिनांक 01.07.2022 को स्थापित मीटर संख्या-9132771 को 10.87 प्रतिशत धीमा आंका गया तथा उक्त मीटर संख्या-9140769 ही चैक मीटर संख्या-8897748 के सापेक्ष 53.06 प्रतिशत तेज पाया गया।

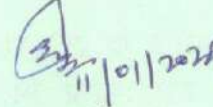
उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि दिनांक 01.07.2022 को स्थापित मीटर संख्या-9132771 पूर्णरूप से दोषपूर्ण था।

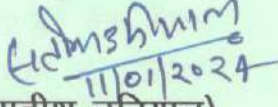
उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा चैक मीटर संख्या-9140769 के आधार पर किया गया विद्युत मूल्य का निर्धारण धनराशि रु० 7002.00 उचित नहीं है जिसे परिवादी के बिल में समायोजित किए जाने की आवश्यकता है तथा चैक मीटर संख्या-8897748 के आधार पर माह अगस्त 2022 एवं सितंबर 2022 की अवधि में मीटर संख्या-9140769 द्वारा दर्ज की गई विद्युत खपत को वास्तविक विद्युत खपत से 53.06 प्रतिशत अधिक मानते हुए संशोधित बिल जारी करने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह चैक मीटर संख्या-9140769 के आधार पर किया गया विद्युत मूल्य का निर्धारण धनराशि रु० 7002.00 समाप्त करते हुए चैक मीटर संख्या-8897748 के आधार पर माह अगस्त 2022 एवं सितंबर 2022 की अवधि में मीटर संख्या-9140769 द्वारा दर्ज की गई विद्युत खपत को वास्तविक विद्युत खपत से 53.06 प्रतिशत अधिक मानते हुए संशोधित बिल जारी करे। विपक्षी विभाग आदेश कि अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करें। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


(जी० एस० धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य


(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत) 80 बसंत बिहार फ्लैज-1 देहरादून में अपील कर सकता है।



कार्यालय / OFFICE

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र

Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone

हिल बाईपास रोड़, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार-249401

Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401

Phone: 01334-265368

E-Mail- cgrfharidwar@gmail.com

परिवाद सं० 196 / 2023

परिवादी :- श्री प्रवीन सिंह पुत्र श्री तेज सिंह, निवासी सी-349/2 गोविन्दपुरी, जिला हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नगरीय, हरिद्वार।

कोरम

आदेश दिनांक 11.01.2024

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री प्रवीन सिंह पुत्र श्री तेज सिंह, निवासी सी-349/2 गोविन्दपुरी, जिला हरिद्वार द्वारा कथन किया गया है कि उन्होंने एक प्लॉट जिसका नम्बर 349/2 है, जो कि गोविन्दपुरी में स्थित है। यह प्लॉट उन्होंने श्रीमती जयकला ठाकुर से दिनांक 10.23.2023 को खरीदा है, तथा इस समय उनका निर्माण कार्य चल रहा है। इस मकान पर विद्युत कनेक्शन उनके द्वारा आवेदन किया हुआ है जिसका रजिस्ट्रेशन नं०-522311023001 है, जो कि 31.10.2023 को आवेदन किया था। इस सम्बन्ध में उन्होंने एसडीओ और जेई विद्युत विभाग मायापुर, हरिद्वार से काफी सम्पर्क किया, लेकिन वहां से उनको संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। इस संबंध में उनके द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र एसडीओ कार्यालय को दिनांक 21.11.2023 को दिया गया, लेकिन विभाग द्वारा आज तक कनेक्शन नहीं लगाया गया है। अतः मंच से अनुरोध है कि उन्हें नया कनेक्शन दिलवा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के उपखण्ड अधिकारी के पत्रांक 2886 दिनांक 18.12.2023 द्वारा उक्त के जवाब में मंच को अवगत कराया गया है कि उनके अवर अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता द्वारा नये विद्युत संयोजन हेतु आवेदन किया था तथा अवर अभियन्ता द्वारा परिसर का निरीक्षण किया गया, जिससे अवगत हुआ है कि उनके परिसर में दो अन्य विद्युत संयोजन चल रहे हैं जिसमें संयोजन सं० 6920622070366 में विद्युत बकाया रु० 59507.00 चल रहा है और इस कारण से नया संयोजन देने में कठनाई हो रही है।

मंच के समक्ष परिवादी श्री प्रवीन सिंह तथा विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री अजय कुमार उपस्थित हुई।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी श्री प्रवीण कुमार द्वारा एक भूखण्ड स्थान-प्लॉट नंबर 349 का भाग, गोविन्दपुरी कालोनी हरिद्वार में विक्रेता श्रीमती जयाकला ठाकुर पत्नी श्री तेज सिंह निवासी 349, गोविन्दपुरी कालोनी हरिद्वार से कय किया गया है, जिसे दिनांक 10.12.2021 को सब रजिस्ट्रार हरिद्वार-1 के कार्यालय में पंजीकृत कराया गया है।

क्रमशः.....02

परिवादी द्वारा उक्त भूखण्ड पर मकान का निर्माण कराया जा रहा है। परिवादी द्वारा उक्त निर्माणाधीन भवन/मकान में प्रयोग हेतु विद्युत संयोजन के लिए आवेदन विपक्षी विभाग को प्रेषित किया गया है, जिसे विपक्षी विभाग द्वारा पंजीकरण संख्या-5223110230021 द्वारा दिनांक 31.10.2023 को पंजीकृत किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने लिखित उत्तर में कथन किया गया है कि उक्त परिसर पर दो विद्युत संयोजन गतिमान हैं तथा संयोजन संख्या-692062207066 पर रू० 59507.00 का बकाया चल रहा है, जिससे परिवादी को नये संयोजन देने में कठिनाई हो रही है, जो कि सही प्रतीत नहीं होता है।

सुनवाई के दौरान मंच के संज्ञान में लाया गया कि प्रश्नगत प्लॉट संख्या-349 के अन्य भाग पर निर्मित भवनों पर दो संयोजन गतिमान हैं तथा उपभोक्ताओं द्वारा उक्त दोनों संयोजनों का उपयोग वर्तमान में भी जारी है। स्पष्ट है कि प्लॉट संख्या-349 पर गतिमान उक्त दोनों संयोजनों पर विद्युत बिल बकाया की धनराशि की वसूली केवल संबंधित संयोजन धारकों से ही की जा सकती है तथा उक्त दोनों संयोजनों पर बकाये की धनराशि की वसूली के लिए किसी भी प्रकार से परिवादी जिम्मेदार नहीं है।

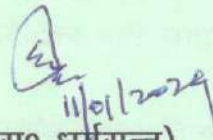
अतः संदर्भित प्लॉट संख्या-349 के एक भाग पर भवन निर्माण हेतु संयोजन लिए जाने के लिए परिवादी पूर्णरूप से पात्र है।

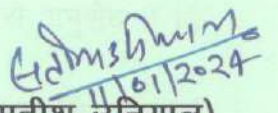
उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग परिवादी के आवेदन पर कार्यवाही करते हुए मा० उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी विनियम 2020 के अंतर्गत किए गए प्राविधानों के अनुसार निर्धारित समय पर परिवादी को विद्युत संयोजन जारी किए जाने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी के आवेदन पर कार्यवाही करते हुए मा० उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी विनियम 2020 के अंतर्गत किए गए प्राविधानों के अनुसार निर्धारित समय पर परिवादी को विद्युत संयोजन जारी करे। विपक्षी विभाग आदेश कि अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करें। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


(जी० एस० धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य


(सतीश चनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।



कार्यालय / OFFICE

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र

Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone

हिल बाईपास रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार-249401

Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401

Phone: 01334-265368

E-Mail- cgrfharidwar@gmail.com

परिवाद सं० 193 / 2023

परिवादी :- मै० इण्टरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, प्लॉट नं० 94 एफ, सेक्टर 6ए, IIE, सिडकुल जिला-हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, सिडकुल, हरिद्वार।

कोरम

आदेश दिनांक 18.01.2024

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी मै० इण्टरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, प्लॉट नं० 94 एफ, सेक्टर 6ए, IIE, सिडकुल जिला-हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन सं०-HR0K000027326 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उक्त कनेक्शन का लोड 26 किलोवाट से 75 किलोवाट तक बढ़ाने के लिए आवेदन किया था। जिसके लिए आवश्यक शुल्क दिनांक 08.10.2021 को रू० 323090.00 जमा करा दिया गया था, जिसमें प्रतिभूति धनराशि रू० 73090.00 और प्रांकलन की धनराशि रू० 2,50,000.00 शामिल है। हाल ही में सितम्बर 2023 में पता चला कि यूईआरसी के दिशा-निर्देशों के अनुसार केवल सब स्टेशन की क्षमता वृद्धि (63 केवीए से 100 केवीए) के सापेक्ष रू० 50,000.00 जमा किए जाने चाहिए, क्योंकि उनके परिसर में 63 केवीए ट्रांसफार्मर पहले ही स्थापित किया जा चुका है जिसके लिए सब स्टेशन लागत शुल्क मई 2015 में 26 किलोवाट के कनेक्शन के समय रू० 125000.00 (63 केवीए का निर्माण) पहले ही जमा किया जा चुका है। प्रांकलन की धनराशि के विरुद्ध रू० 250000.00 गलत तरीके से वसूला गया है। अतः मंच से अनुरोध है कि यूईआरसी द्वारा निर्धारित धनराशि से अधिक जमा की गई धनराशि रू० 250000.00 लौटाई जाने या फिर उनके बिल में समायोजित करने का आदेश धारित करा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता के पत्रांक 2201 दिनांक 15.12.2023 द्वारा उक्त के जवाब में मंच को अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के परिसर पर विद्युत संयोजन संख्या- HR0K000027326 के सापेक्ष स्वीकृत विद्युत भार वृद्धि (26 किलोवाट से 75 किलोवाट) के लिये दिनांक 27.09.2021 को आवेदन किया गया, जिसकी प्राक्कलन की धनराशि रू० 250000.00 उपभोक्ता द्वारा दिनांक 08.10.2021 को जमा करा दी गयी। उपभोक्ता का भार वृद्धि से पूर्व 26 किवा विद्युत भार था जो कि 63 केवीए परिवर्तक पर निर्गत किया हुआ था, जिसका प्राक्कलन धनराशि एवं प्रतिभूति धनराशि दिनांक 19.05.2015 को रसीद सं० 39/148176 के माध्यम से उपभोक्ता द्वारा जमा करा दी गयी थी। पूर्व में ही परिवर्तक स्थापित होने के कारण विद्युत भार वृद्धि के लिये 63 केवीए परिवर्तक से 100 केवीए परिवर्तक करने के लिये यूईआरसी के नियम 3.3.3 के बिन्दु (II) की सारणी सं० 3.6 (3) के अनुसार कुल धनराशि 50000.00 लिया जाना था।

क्रमशः.....02

चुटिवश सारणी 3.6 (2) के 11 केवी परिवर्तक मूल्य के 50 किवा से 75 किवा तक में, विद्युत भार में लागू होने वाली धनराशि 250000.00 रु० को प्राक्कलन में सम्मिलित कर लिया गया, जिसका उपभोक्ता द्वारा दिनांक 08.11.2021 को खण्ड कार्यालय में जमा करा दिया गया, चूंकि नियमानुसार 50000.00 लागू थे, के सापेक्ष चुटिवश धनराशि रु० 250000.00 प्राक्कलन में जोड़ दी गयी थी, को जो कि यूईआरसी टैरिफ नियमानुसार उपभोक्ता से रु० 50000.00 छोड़ शेष कुल धनराशि रु० 2,00,000.00 उपभोक्ता को भुगतान कर माननीय मंच को अवगत करा दिया जायेगा।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता के पत्रांक सं० 71 दिनांकित 04.01.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया गया कि उपभोक्ता मै० इंटरनेशनल मार्केटिंग कारपोरेशन, प्लॉट नं०-94 एफ सेक्टर-6ए सिडकुल हरिद्वार को बैंक सं० 452077 दिनांक 28.12.2023 के माध्यम से रु० 200000.00 का भुगतान कर दिया गया है।

समक्ष परिवादी श्री राहुल गुप्ता तथा विपक्षी की ओर से सहायक अभियन्ता (राजस्व) श्री ओम सिंह उपस्थित हुए।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन 26 किलोवाट भार में गतिमान था तथा परिवादी द्वारा स्वीकृत 26 किलोवाट भार को 73 किलोवाट किए जाने हेतु, आवेदन विपक्षी विभाग को प्रेषित किया गया जिसे विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 27.09.2021 को पंजीकरण संख्या-529270921001 द्वारा पंजीकृत किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी के उक्त आवेदन के सापेक्ष रु० 250000.00 धनराशि का प्राक्कलन परिवादी को प्रेषित किया गया, जिसे परिवादी द्वारा दिनांक 08.10.2021 को विपक्षी विभाग के कार्यालय में जमा किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा भार वृद्धि (26 से 75 किलोवाट हेतु) निर्मित प्राक्कलन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विपक्षी विभाग द्वारा मा० उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के विनियम, 2020 में दिए गए प्राविधान के अनुसार 63 केवीए से 100 केवीए तक भार वृद्धि हेतु देय धनराशि रु० 50000.00 के स्थान पर रु० 250000.00 चार्ज किया गया है जिसका भुगतान परिवादी द्वारा दिनांक 08.10.2021 को किया गया है, जो कि उचित नहीं है।

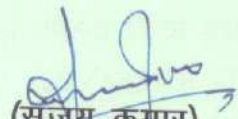
परिवादी द्वारा मा० उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के विनियम, 2020 के अंतर्गत किए गए प्राविधान के बिंदु 3.6 (3) का संज्ञान लेते हुए विपक्षी विभाग को रु० 200000.00 (250000.00-50000.00) लौटाए जाने अथवा परिवादी के विद्युत बिलों में समायोजित किए जाने हेतु प्रेषित पत्रांक शून्य दिनांक 27.09.2023 द्वारा कहा गया है, परंतु विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 01.12.2023 तक परिवादी के उक्त पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। परिणामस्वरूप परिवादी द्वारा उक्त संदर्भित विषय के समाधान हेतु यह शिकायत मंच को प्रेषित की गई जिसे दिनांक 05.12.2023 को पंजीकृत किया गया है। मंच द्वारा पत्रांक 607 दिनांक 05.12.2023 के माध्यम से विपक्षी विभाग को अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया गया है।

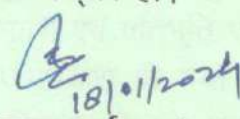
पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से यह विदित होता है कि विपक्षी विभाग द्वारा मंच के समक्ष स्वीकार किया गया है कि परिवादी के भार वृद्धि (26 से 75 किलोवाट) हेतु आवेदन के सापेक्ष निर्गत प्राक्कलन में, लाईन तथा उप संस्थान निर्माण मद में चुटिवश रु० 50000.00 के स्थान पर रु० 250000.00 चार्ज किया गया है। परिवादी द्वारा उक्त मद में जमा की गई अधिक धनराशि रु० 200000.00 का भुगतान बैंक संख्या-452077 के माध्यम से दिनांक 28.12.2023 को परिवादी को कर दिया गया है, जिसकी पुष्टि परिवादी द्वारा भी की गई है।

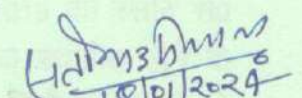
अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की समस्या का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की समस्या का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सद्रस्य


(जी० एस० धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य


(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं।



कार्यालय / OFFICE

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र

Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone

हिल बाईपास रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार-249401

Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401

Phone: 01334-265368

E-Mail- cgrfharidwar@gmail.com

परिवाद सं० 197 / 2023

परिवादी :- श्री जीशान हुसैन पुत्र श्री रिजवान हुसैन, निकट बड़ी मस्जिद मौहल्ला पठानपुरा मंगलौर टाऊन, जिला हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रुड़की।

कोरम

आदेश दिनांक 18.01.2024

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री जीशान हुसैन पुत्र श्री रिजवान हुसैन, निकट बड़ी मस्जिद मौहल्ला पठानपुरा, मंगलौर टाऊन, जिला हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन सं०- RD21724099011 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनका विद्युत मीटर पिछले दिनों खराब हो गया था। जब इस संबंध में उनको जानकारी मिली तो उनके द्वारा दिनांक 24.06.2023 को विभाग के टोल फ्री नं० 1912 पर शिकायत दर्ज कराई गई, जिसकी शिकायत सं०-22406230710 है, लेकिन उनका मीटर उसके बाद भी नहीं बदला गया। उसके बाद उनके द्वारा दिनांक 09.10.2023 को एक बार फिर टोल फ्री नं० 1912 पर शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद दिनांक 13.10.2023 को उनका मीटर बदला गया जिसमें रीडिंग शून्य थी। इससे पहले उनको जो बिल प्राप्त हुआ था वह सितंबर 2023 का था, जिसकी धनराशि रु० 2568.00 दर्शायी गई थी, क्योंकि उनका मीटर काम नहीं कर रहा था तथा उनके द्वारा उनकी शिकायत विभाग को उचित माध्यम से दर्ज कराई गई थी जिस कारण उनके द्वारा उक्त रु० 2568.00 के बिल को जमा नहीं कराया गया था। उनका विद्युत मीटर बदले जाने के बाद उसमें केवल एक माह के भीतर केवल 99 रीडिंग दर्ज हुई थी, लेकिन मीटर रीडर द्वारा जब नवम्बर 2023 में बिल बनाया गया तो रु० 28836.00 का बिल बनाया गया, जो कि गलत है। इस संबंध में उन्होंने बिजलीघर पर कई चक्कर लगाये लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल सही करवा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता के पत्रांक 5765 दिनांक 22.12.2023 द्वारा उक्त के जवाब में मंच को अवगत कराया गया है कि आरएपीडीआरपी प्रणाली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि विद्युत संयोजन सं०- RD21724099011 उपभोक्ता के नाम पर घरेलू उपयोग हेतु 02 किलोवाट, दिनांक 25.12.2023 को निर्गत किया गया है। उपभोक्ता के संयोजन सं०- RD21724099011 के सम्बन्ध में क्षेत्रीय उपखण्ड अधिकारी मंगलौर द्वारा अवगत कराया गया है कि विद्युत वितरण मण्डल, रुड़की के कार्यालय पत्रांक सं० 2135 दिनांक 06.10.2023 के आदेशानुसार श्री पंकज गौतम, सहायक अभियन्ता (सं०) द्वारा मंगलौर टाऊन में टी०डी०एस० कम्पनी के मीटर रीडरों के द्वारा बनाये जा रहे विद्युत बिलों की जांच की गयी, जिसमें उनके द्वारा 9 साईटों का स्थलीय निरीक्षण किया गया तथा उपखण्ड कार्यालय मंगलौर में

क्रमशः.....02

रिपोर्ट प्रेषित की गयी। श्री पंकज गौतम सहायक अभियन्ता (सं०) द्वारा प्राप्त रिपोर्ट में क्रम सं० 1 पर विद्युत संयोजन सं०-RD21724099011 के मीटर सं० यू352528 में पायी गयी रीडिंग 6619, मीटर के छायाचित्र में दर्शित रीडिंग 6640 एवं नये मीटर सं० 10223459 की रीडिंग के आधार पर संशोधित किये जाने के उपरान्त रु० 24092.00 धनराशि बकाया है, जो कि उपभोक्ता द्वारा भुगतान किया जाना है।

मंच के समक्ष परिवादी जीशान तथा विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री अक्षय कपिल उपस्थित हुए।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन 02 किलोवाट भार पर दिनांक 25.12.2021 से गतिमान है। परिवादी के बिलिंग इतिहास से यह विदित होता है कि विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 12.10.2019 तक एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। दिनांक 08.12.2019 को आईडीएफ आधार पर बिल जारी किया गया है। परिवादी के कथनानुसार उसके संयोजन पर दिनांक 13.11.2023 से पूर्व भी एक बार मीटर बदला गया, परंतु बिलिंग इतिहास में मीटर चैक डिटेल में कोई विवरण दर्ज नहीं है। बिलिंग इतिहास में दर्ज रीडिंग तथा बिल आधार के अनुसार दिनांक 13.11.2023 से पूर्व, दिनांक 08.02.2020 को परिवादी के संयोजन पर स्थापित मीटर को बदला गया। अर्थात् पूर्व में स्थापित मीटर संख्या यू 352528 दिनांक 08.12.2020 से दिनांक 13.10.2023 तक की अवधि में कार्यशील रहा है।

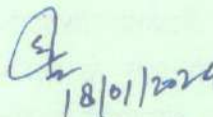
विपक्षी विभाग द्वारा प्रश्नगत मीटर पर दिनांक 07.10.2023 को 6782 रीडिंग पाई गई है। परिवादी के बिलिंग इतिहास से यह भी विदित होता है कि परिवादी द्वारा दिनांक 10.06.2023 से दिनांक 26.10.2023 तक, 5 माह 16 दिन की अवधि में 3136 यूनिट अर्थात् 697 यूनिट प्रतिमाह की दर से विद्युत खपत की गई है, जबकि परिवादी द्वारा दिनांक 08.12.2019 से दिनांक 10.06.2023 तक अर्थात् 30 माह की अवधि में 122 यूनिट प्रति माह की दर से विद्युत खपत की गई है। बिलिंग इतिहास तथा सहायक अभियन्ता (मीटर) की रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी का समय-समय पर वास्तविक मीटर रीडिंग के आधार पर बिल जारी नहीं किए गए हैं। फलस्वरूप परिवादी के मीटर में वास्तविक विद्युत खपत जमा होती रही और विपक्षी विभाग द्वारा जब दिनांक 26.10.2023 को परिवादी को बिल जारी किया गया तो उसमें 6782 रीडिंग तक की गई विद्युत खपत 3136 यूनिट का बिल जारी किया गया है।

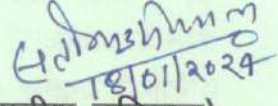
अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को दिनांक 09.04.2020 से दिनांक 26.10.2023 तक जारी सभी बिलों को निरस्त करते हुए दिनांक 08.02.2020 को आईआर-29 तथा दिनांक 16.10.2023 को एफआर-6782 मानते हुए विलंब अधिभार शुल्क रहित संशोधित बिल जारी किए जाने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी को दिनांक 09.04.2020 से दिनांक 26.10.2023 तक जारी सभी बिलों को निरस्त करते हुए दिनांक 08.02.2020 को आईआर-29 तथा दिनांक 16.10.2023 को एफआर-6782 मानते हुए विलंब अधिभार शुल्क रहित संशोधित बिल जारी करे। विपक्षी विभाग आदेश कि अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करें। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


(जी० एस० धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य


(सतीश चनियाल)
उपभोक्ता सदस्य



कार्यालय / OFFICE

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र

Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone

हिल बाईपास रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार-249401

Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401

Phone: 01334-265368

E-Mail- cgrfharidwar@gmail.com

परिवाद सं० 199 / 2023

परिवादी :- श्री कुर्बान अहमद पुत्र श्री नजीर अहमद, निवासी पीठ बाजार बहादुराबाद, जिला हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ज्वालापुर, हरिद्वार।

कोरम

आदेश दिनांक 18.01.2024

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री कुर्बान अहमद पुत्र श्री नजीर अहमद, निवासी पीठ बाजार बहादुराबाद, जिला हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन सं०-JW21220063022 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनके आवेदन पर पूर्व में स्वीकृत 5.00 किलोवाट भार को घटाकर 2.00 किलोवाट किया गया है तथा 01.04.2023 को नया मीटर स्थापित किया गया है। तदोपरान्त से उनको मीटर रीडिंग के अनुसार बिल नहीं दिया गया है। उनके द्वारा विभाग में शिकायत करने पर भी उनको सही बिल नहीं दिया गया, और उन्हें गलत धनराशि रु० 230555.00 का बिल जारी किया गया है। अतः मंच से अनुरोध है कि उन्हें मीटर रीडिंग के आधार पर बगैर विलंब अधिभार शुल्क के बिल जारी करवा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के उपखण्ड अधिकारी के पत्रांक 699 दिनांक 23.12.2023 द्वारा उक्त के जवाब में मंच को अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता का बिल सही कर दिया गया है। साक्ष्य के रूप में विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी के संशोधित बिल की गणना शीट पत्रावली पर दाखिल की गई है।

मंच के समक्ष परिवादी अनुपस्थित तथा विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री अमित तौमर उपस्थित हुए।

मंच द्वारा पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन दिनांक 11.09.1998 से गतिमान है। परिवादी का संयोजन पूर्व में 05 किलोवाट भार में स्वीकृत था जिसे दिनांक 23.03.2023 को परिवादी के आवेदन पर घटाकर 02 किलोवाट किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 23.03.2023 को नया मीटर संख्या-102219317 स्थापित किए जाने के उपरांत भी दिनांक 23.12.2023 तक परिवादी को नये मीटर पर दर्ज विद्युत खपत के आधार पर विद्युत बिल जारी नहीं किया गया है, जो कि मा० उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी विनियम, 2020 के अंतर्गत किए गए प्राविधानों का उल्लंघन है। अभिलेखों से यह भी विदित होता है कि विपक्षी विभाग द्वारा लंबे अंतराल के बाद परिवादी को जारी विद्युत बिल, पुराने तथा नये मीटर में दर्ज विद्युत खपत के आधार पर संशोधित किया गया है, जिसमें आंशिक रूप से पुनः संशोधन किए जाने की आवश्यकता है।

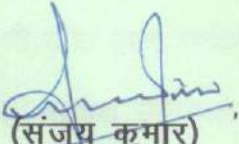
अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी द्वारा परिवादी को दिनांक 21.04.2023

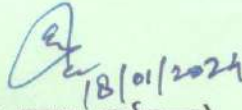
क्रमशः.....02

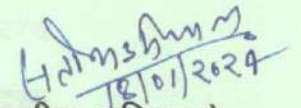
से दिनांक 23.12.2023 तक जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए पुराने मीटर पर दर्ज विद्युत खपत 213 (17911-17698) यूनिट तथा दिनांक 23.03.2023 से दिनांक 23.12.2023 तक की अवधि में दर्ज की गई विद्युत खपत 1033 यूनिट का विलंब अधिभार शुल्क रहित संशोधित बिल जारी किए जाने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी को दिनांक 21.04.2023 से दिनांक 23.12.2023 तक जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए पुराने मीटर पर दर्ज विद्युत खपत 213 (17911-17698) यूनिट तथा दिनांक 23.03.2023 से दिनांक 23.12.2023 तक की अवधि में दर्ज की गई विद्युत खपत 1033 यूनिट का विलंब अधिभार शुल्क रहित संशोधित बिल जारी करे। विपक्षी विभाग आदेश कि अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करें। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


(जी० एस० धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य


(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।



कार्यालय / OFFICE

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र

Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone

हिल बाईपास रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार-249401

Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401

Phone: 01334-265368

E-Mail- cgrfharidwar@gmail.com

परिवाद सं० 200 / 2023

परिवादी :- श्री नीरज कुमार सैनी पुत्र श्री वेद पाल सिंह, निवासी 220 / 132 केवी सब-स्टेशन, हाईडिल कालोनी, रामनगर, रुड़की।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, रामनगर, रुड़की।

कोरम

आदेश दिनांक 18.01.2024

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री नीरज कुमार सैनी पुत्र श्री वेद पाल सिंह, निवासी 220 / 132 केवी सब स्टेशन, हाईडिल कालोनी, रामनगर, रुड़की द्वारा विद्युत संयोजन संख्या RM72806363660 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उपभोक्ता पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड में, 66 के.वी. उपकेन्द्र, थीथकी मंगलौर में अवर अभियन्ता के पद पर कार्यरत है। वर्तमान में 220 के.वी. हाईडिल कालोनी रामनगर रुड़की के आवासीय कालोनी में निवास कर रहा है। उनका विद्युत मीटर नो डिस्पले हो गया था, जिसकी शिकायत नं० 216012300028 के द्वारा दिनांक 15.02.2023 को मीटर चेंज करवा दिया गया था। माह अगस्त 2022 को उनका विद्युत बिल 302 यूनिट है। सितम्बर 2022 में 3613 युनिट का विद्युत बिल जारी कर दिया गया और मार्च 2023 में 6136 यूनिट का विद्युत बिल जारी किया गया, जो कि कैपिंग यूनिट से काफी ज्यादा है। मीटर रीडर द्वारा सितम्बर 2022 की जो रीडिंग ली गई है वह संदेहास्पद प्रतीत हो रही है क्योंकि उनका मासिक विद्युत खर्च लगभग 500 से 700 यूनिट की रेंज में है। मीटर रीडर द्वारा रीडिंग लेते समय रीडिंग की फोटो ली जाती है, जिससे स्पष्ट दिख रहा है कि मीटर नो डिस्पले है, इस सम्बन्ध में मौखिक रूप से मीटर लैब से, मीटर की सितम्बर 2022 की MRI उपलब्ध कराने हेतु वार्ता की गई, परन्तु मीटर लैब द्वारा बताया गया की नो डिस्पले मीटर की MRI नहीं होती है। विद्युत बिल सही करवाने के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता / सहायक अभियन्ता रामनगर रुड़की को दिनांक 01.06.2023 को प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिस पर अभी तक कोई उचित कार्यवाही नहीं हुई है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनकी समस्या का निवारण करा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के उपखण्ड अधिकारी ने अपने पत्र संख्या 979 दिनांकित 22.12.2023 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि उपाकालि के कार्यालय ज्ञापन के पत्रांक सं० 5931/UPCL/RM/N-36 DT 17.07.2020 के अनुपालन में दिनांक 30.06.2023 तक उपरोक्त आदेशानुसार अवर अभियन्ता को विभागीय अधिकतम यूनिट 583 यूनिट प्रतिमाह मिलती है। उपभोक्ता द्वारा विभागीय संयोजन पर दिनांक 20.02.2020 से 17.10.2022 तक कुल 21791 यूनिट उपभोग की गयी है जो कि 683 यूनिट प्रतिमाह की गयी है। दिनांक 01.07.2020 से विभागीय कार्यालय ज्ञापन सं० के अनुसार उपभोक्ता पर 683-583=100

क्रमशः.....02

यूनिट अधिकतम प्रतिमाह की दर से विद्युत बीजक संशोधित किया जा सकता है। 17.02.2023 को विद्युत मापक बदलने के उपरान्त से 24.11.2023 तक 112 यूनिट प्रतिमाह प्रयोग की गयी है जो कि विभागीय अधिकतम यूनिट के अन्तर्गत है। उपरोक्त विवरण के अनुसार बिल को संशोधित किया गया है।

मंच के समक्ष परिवादी श्री नीरज कुमार सैनी को सुना गया तथा विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री ओत पाल उपस्थित हुए।

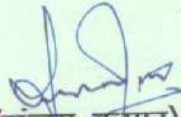
मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

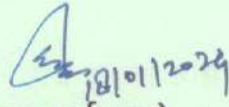
पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन 05 किलोवाट भार पर दिनांक 08.12.2019 से गतिमान है। परिवादी को दिनांक 18.09.2022 को 3613 यूनिट तथा दिनांक 24.03.2023 को 6136 यूनिट का बिल जारी किया गया है, जिसे परिवादी द्वारा यह कथन करते हुए कि उनकी मासिक औसत विद्युत खपत 500 से 700 यूनिट के मध्य है, विवादित ठहराया गया है। परिवादी के संयोजन पर पूर्व में स्थापित मीटर संख्या-जी 312103 को मीटर संख्या- 8898376 द्वारा दिनांक 15.02.2023 को प्रतिस्थापित किया गया है। परिवादी के बिलिंग इतिहास से यह विदित होता है कि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को समय-समय पर वास्तविक मीटर रीडिंग के आधार पर बिल जारी नहीं किए गए हैं, जबकि मीटर द्वारा लगातार विद्युत खपत दर्ज की जाती रही है। परिवादी द्वारा उनके विद्युत संयोजन पर स्थापित मीटर के नो-डिस्टर्ब हो जाने की शिकायत दिनांक 16.01.2023 से पूर्व दर्ज कराई गई है। परिवादी द्वारा दिनांक 10.04.2023 को विपक्षी विभाग को प्रेषित पत्र में, दिनांक 18.09.2022 को 3612 यूनिट विद्युत खपत के सापेक्ष जारी बिल पर आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई है। परिवादी द्वारा दिनांक 24.03.2023 को 6136 विद्युत यूनिट के सापेक्ष जारी बिल को ही विवादित ठहराया गया है। अभिलेखों में उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी के संयोजन पर पूर्व में स्थापित मीटर संख्या-312103 पर अंतिम रीडिंग 30999 दिनांक 17.10.2022 को पाई गई है।

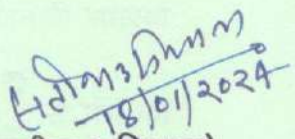
अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को दिनांक 29.08.2020 से दिनांक 17.10.2022 तक जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए दिनांक 20.02.2020 से दिनांक 17.10.2022 तक की गई विद्युत खपत के सापेक्ष 21791 (30999-9208) यूनिट विद्युत खपत का तथा दिनांक 17.10.2022 से दिनांक 15.02.2023 तक की अवधि में की गई विद्युत खपत के सापेक्ष, उपरोक्तानुसार संशोधित औसत विद्युत खपत के आधार पर तथा दिनांक 15.02.2023 से दिनांक 24.11.2023 तक की अवधि में की गई विद्युत खपत के सापेक्ष, इस अवधि में नये मीटर संख्या-8898376 पर दर्ज विद्युत खपत के आधार पर संशोधित विद्युत बिल जारी किए जाने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी को दिनांक 29.08.2020 से दिनांक 17.10.2022 तक जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए दिनांक 20.02.2020 से दिनांक 17.10.2022 तक की गई विद्युत खपत के सापेक्ष 21791 (30999-9208) यूनिट विद्युत खपत का तथा दिनांक 17.10.2022 से दिनांक 15.02.2023 तक की अवधि में की गई विद्युत खपत के सापेक्ष, उपरोक्तानुसार संशोधित औसत विद्युत खपत के आधार पर तथा दिनांक 15.02.2023 से दिनांक 24.11.2023 तक की अवधि में की गई विद्युत खपत के सापेक्ष, इस अवधि में नये मीटर संख्या-8898376 पर दर्ज विद्युत खपत के आधार पर संशोधित विद्युत बिल जारी करे। विपक्षी विभाग आदेश कि अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करें। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


(जी० एस० धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य


(सतीश चनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।



कार्यालय / OFFICE

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र

Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone

हिल बाईपास रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार-249401

Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401

Phone: 01334-265368

E-Mail- cgrfharidwar@gmail.com

परिवाद सं० 201/2023

परिवादी :- श्री जनेश्वर कुमार पुत्र स्व० श्री नरेन्द्र कुमार, निवासी ग्राम अकोढा मुकरमतपुर, पो० मुण्डाखेडा कलॉ, हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, लक्सर, हरिद्वार।

कोरम

आदेश दिनांक 18.01.2024

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री जनेश्वर कुमार पुत्र स्व० श्री नरेन्द्र कुमार, निवासी ग्राम अकोढा मुकरमतपुर, पो० मुण्डाखेडा कलॉ, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या LK909L1021919 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उपभोक्ता के पास 10 बीघा जमीन है जिसमें वह ट्यूबवैल से सिंचाई का कार्य करते थे। चूंकि अब तीन वर्षों से बोरिंग खराब होने के कारण सिंचाई नहीं हो पा रही है। माह जनवरी 2022 से जून 2022 तक का बीजक धनराशि रू० 2657.00 अतिरिक्त जमा हो गया था। जबकि माह जुलाई से माह दिसम्बर 2022 तक का विद्युत विभाग द्वारा धनराशि रू० 112238.00 का बीजक भेज दिया गया है। उनके द्वारा विद्युत प्रयोग नहीं करने के बावजूद भी विभाग द्वारा बिना किसी आधार के अत्यधिक धनराशि रू० 112238.00 का बीजक भेज दिया गया है जो कि गलत है। वह कई बार विद्युत विभाग लक्सर के कार्यालय के चक्कर लगा चुके हैं तथा इसमें सुधार करने हेतु दिनांक 25.09.2023 को लिखित प्रार्थना पत्र भी दे चुके हैं, परन्तु विभाग द्वारा उक्त पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। विभाग से MRI रिपोर्ट मांगने पर रिपोर्ट भी नहीं दी जा रही है जिसके कारण वह मानसिक रूप से अत्यधिक परेशान हैं। उनके द्वारा मा० मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी सूचना दी गयी है जिसमें विद्युत विभाग लक्सर द्वारा केवल MRI रिपोर्ट की सूची दी गई है, जबकि पूर्ण MRI रिपोर्ट नहीं दी गयी है जिससे कुछ भी पता नहीं लग पा रहा है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनके विद्युत बीजक में सुधार कराते हुए इस कनेक्शन को बन्द करवा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के उपखण्ड अधिकारी ने अपने पत्र संख्या 1343 दिनांकित 23.12.2023 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि संयोजन सं०- LK1094110165 की एमआरआई रिपोर्ट के अनुसार मीटर रीडिंग 4897 है तथा बिल रीडिंग अनुसार निर्गत किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की एमआरआई रिपोर्ट एवं बिलिंग इतिहास की छाया प्रति पत्रावली पर दाखिल की गई है।

मंच के समक्ष परिवादी श्री जनेश्वर कुमार को सुना गया तथा विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री अमी चन्द उपस्थित हुए।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

(Handwritten signature)

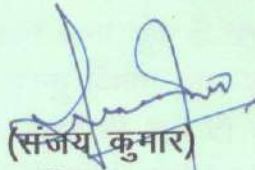
क्रमशः.....02

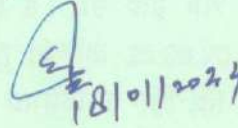
पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह संयोजन 05 एचपी विद्युत भार पर दिनांक 13.10.2001 को निर्गत किया गया है। परिवादी के बिलिंग इतिहास से यह विदित होता है कि परिवादी द्वारा दिनांक 17.10.2014 से दिनांक 03.06.2022 तक मात्र 5354 यूनिट विद्युत का उपभोग किया गया है, जो कि दस बीघा कृषि भूमि के सिंचाई हेतु स्वीकृत भार 05 एचपी के सापेक्ष कम प्रतीत होता है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से यह भी विदित होता है कि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को समय-समय पर मीटर रीडिंग के आधार पर बिल जारी नहीं किए गए हैं, जो कि मा० उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित विनियम, 2020 का घोर उल्लंघन है, जिस हेतु विपक्षी विभाग द्वारा दोषी कार्मिकों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है। परिवादी की बिलिंग इतिहास से स्पष्ट होता है कि परिवादी को समय-समय पर मीटर पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर विद्युत बिल जारी नहीं किए गए हैं जबकि मीटर द्वारा विद्युत खपत दर्ज की जाती रही है। विपक्षी विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रश्नगत मीटर की एमआरआई रिपोर्ट के अनुसार मीटर पर रीडिंग 48970.55 कंडब्लूएच दर्ज है।

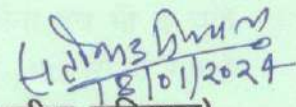
अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में परिवादी के संयोजन पर स्थापित मीटर संख्या-14710539 में दर्ज विद्युत खपत 48970.55 कंडब्लूएच को दिनांक 17.10.2014 से वर्तमान तक (नलकूप बंद होने की अनुमानित तिथि) की अवधि का मानते हुए, समय-समय पर मा० उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा लागू विद्युत दरों के आधार पर संशोधित बिल जारी करते हुए, नियमानुसार प्रश्नगत संयोजन को स्थायी विच्छेदित किए जाने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी के संयोजन पर स्थापित मीटर संख्या-14710539 में दर्ज विद्युत खपत 48970.55 कंडब्लूएच को दिनांक 17.10.2014 से वर्तमान तक (नलकूप बंद होने की अनुमानित तिथि) की अवधि का मानते हुए, समय-समय पर मा० उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा लागू विद्युत दरों के आधार पर संशोधित बिल जारी किए जाने तथा प्रश्नगत संयोजन को स्थायी विच्छेदित किए जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करे। विपक्षी विभाग आदेश कि अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करें। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


18/01/2024
(जी० एस० धर्मसत्तु)
तकनीकी सदस्य


18/01/2024
(सतीश चनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।